

Introduction	
It has already been discussed that an agreement results from a proposal by one party and its acceptance by the other party. We have already discussed offer, acceptance and consideration in detail. We shall now discuss in detail the elements which constitute a valid contract enforceable in law.	यह पहले ही चर्चा की जा चुकी है कि एक समझौता एक पक्ष द्वारा किए गए प्रस्ताव और दूसरे पक्ष द्वारा उसकी स्वीकृति से उत्पन्न होता है। हम प्रस्ताव, स्वीकृति और प्रतिफल पर पहले ही विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। अब हम उन तत्वों पर विस्तार से चर्चा करेंगे जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय एक वैध अनुबंध का निर्माण करते हैं।
Section 10 of the Indian Contract Act, 1872 provides that an agreement in order to be a contract, must satisfy the following conditions:	भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 10 के अनुसार, किसी समझौते को संविदा होने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:
(1) the parties must be competent to contract;	(1) पक्षकारों को अनुबंध करने के लिए सक्षम होना चाहिए;
(2) it must be made by the free consent of the parties;	(2) यह पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से किया गया होना चाहिए;
(3) it must be made for a lawful consideration and with a lawful object;	(3) यह वैध प्रतिफल तथा वैध उद्देश्य के लिए किया गया होना चाहिए;
(4) it should not have been expressly declared as void by law.	(4) इसे कानून द्वारा स्पष्ट रूप से शून्य घोषित नहीं किया गया होना चाहिए।

3.1 Capacity to contract	3.1 संविदा करने की क्षमता
Meaning: Capacity refers to the competence of the parties to make a contract. It is one of the essential elements to form a valid contract.	अर्थ: क्षमता से आशय पक्षकारों की अनुबंध करने की योग्यता से है। यह एक वैध अनुबंध के निर्माण के आवश्यक तत्वों में से एक है।
Who is competent to contract (Section 11)	अनुबंध करने के लिए कौन सक्षम है (धारा 11)
Every person is competent to contract who-	प्रत्येक व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम है जो—
(A) has attained the age of majority	(A) वयस्कता की आयु प्राप्त कर चुका है।
(B) is of sound mind and	(B) स्वस्थ मस्तिष्क वाला है और
(C) is not disqualified from contracting by any law to which he is subject.	(C) वह उस किसी भी कानून द्वारा संविदा करने से अयोग्य घोषित न हो, जिसके अधीन वह है।
(A) Age of Majority: In India, the age of majority is regulated by the Indian Majority Act, 1875.	(A) वयस्कता की आयु: भारत में वयस्कता की आयु भारतीय वयस्कता अधिनियम, 1875 द्वारा नियंत्रित होती है।
Every person domiciled in India shall attain the age of majority on the completion of 18 years of age and not before. The age of majority being 18 years, a person less than that	भारत में अधिवासित प्रत्येक व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर ही वयस्क माना जाएगा, उससे पहले नहीं। वयस्कता की आयु 18 वर्ष होने के कारण, इस आयु से एक दिन भी कम आयु वाला व्यक्ति संविदा करने

age even by a day would be minor for the purpose of contracting.	के उद्देश्य से अवयस्क माना जाएगा। अवयस्क के समझौते/अवयस्क की स्थिति से संबंधित विधि
Law relating to Minor's agreement/Position of Minor	अल्पवयस्क के समझौते/अल्पवयस्क की स्थिति से संबंधित कानून
1. A contract made with or by a minor is void ab-initio: A minor is not competent to contract and any agreement with or by a minor is void from the very beginning.	1. नाबालिग के साथ या नाबालिग द्वारा किया गया अनुबंध प्रारम्भ से ही शून्य होता है: नाबालिग अनुबंध करने के लिए सक्षम नहीं होता और नाबालिग के साथ या उसके द्वारा किया गया कोई भी समझौता शुरू से ही शून्य होता है।
In the leading case of Mohori Bibi vs. Dharmo Das Ghose (1903), "Mr. D a minor, mortgaged his house for Rs. 20,000 to money lender, but the mortgagee i.e. money lender has paid him Rs. 8,000. Subsequently the minor had filed a suit for cancellation of contract. Held the contract is void as Mr. D is minor and therefore he is not liable to pay anything to lender.	प्रसिद्ध मामले Mohori Bibi vs. Dharmo Das Ghose (1903) में, "श्री D, जो एक नाबालिग था, ने अपने घर को ₹20,000 के लिए एक साहूकार के पास गिरवी रखा, लेकिन गिरवीधारी अर्थात् साहूकार ने उसे ₹8,000 ही दिए। बाद में नाबालिग ने अनुबंध को निरस्त कराने के लिए वाद दायर किया। निर्णय दिया गया कि अनुबंध शून्य (void) है क्योंकि श्री D नाबालिग है और इसलिए वह साहूकार को कोई राशि चुकाने के लिए उत्तरदायी नहीं है।"
2. No ratification after attaining majority: A minor	2. वयस्कता प्राप्त करने के बाद अनुमोदन नहीं: एक नाबालिग

<p>cannot ratify the agreement on attaining majority as the original agreement is void ab initio and a void agreement can never be ratified.</p>	<p>वयस्कता प्राप्त करने के बाद किसी समझौते का अनुमोदन नहीं कर सकता, क्योंकि मूल समझौता प्रारम्भ से ही शून्य होता है और शून्य समझौते का कभी अनुमोदन नहीं किया जा सकता।</p>
<p>Example 1: X, a minor makes a promissory note in favour of Y. On attaining majority, he cannot ratify it and if he makes a new promissory note in place of old one, here the new promissory note which he executed after attaining majority is also void being without consideration.</p>	<p>उदाहरण 1: X, जो एक नाबालिग है, Y के पक्ष में एक प्रतिज्ञा पत्र बनाता है। वयस्कता प्राप्त करने पर वह उसका अनुमोदन नहीं कर सकता और यदि वह पुराने प्रतिज्ञा पत्र के स्थान पर नया प्रतिज्ञा पत्र बनाता है, तो यहाँ वयस्कता प्राप्त करने के बाद उसके द्वारा बनाया गया नया प्रतिज्ञा पत्र भी प्रतिफल के अभाव में शून्य होगा।</p>
<p>3. Minor can be a beneficiary or can take benefit out of a contract: Though a minor is not competent to contract, nothing in the Contract Act prevents the minor from making the other party bound to him. Thus, a promissory note duly executed in favour of a minor and can be sued upon by him, because he though incompetent to contract, may</p>	<p>3. नाबालिग लाभार्थी हो सकता है या अनुबंध से लाभ प्राप्त कर सकता है: यद्यपि नाबालिग अनुबंध करने में सक्षम नहीं होता, फिर भी अनुबंध अधिनियम में ऐसा कुछ नहीं है जो नाबालिग को दूसरी पक्ष को अपने प्रति बाध्य बनाने से रोकता हो। अतः, नाबालिग के पक्ष में विधिवत निष्पादित प्रतिज्ञा-पत्र (Promissory Note) पर वह वाद दायर कर सकता है, क्योंकि यद्यपि वह अनुबंध करने में अक्षम है, फिर भी वह लाभ स्वीकार</p>

yet accept a benefit.	कर सकता है।
A minor cannot become partner in a partnership firm. However, he may with the consent of all the partners, be admitted to the benefits of partnership (Section 30 of the Indian Partnership Act, 1932).	एक अवयस्क साझेदारी फर्म में साझेदार नहीं बन सकता। हालांकि, सभी साझेदारों की सहमति से उसे साझेदारी के लाभों में शामिल किया जा सकता है (भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 की धारा 30)
Example 2: A mortgage was executed in favour of a minor. Held, he can get a decree for the enforcement of the mortgage.	उदाहरण 2: एक नाबालिग के पक्ष में बंधक निष्पादित किया गया। निर्णय हुआ कि वह बंधक के प्रवर्तन के लिए डिक्री प्राप्त कर सकता है।
4. A minor can always plead minority: A minor can always plead minority and is not stopped to do so even where he has taken any loan or entered into any contract by falsely representing that he was major. Rule of estoppel cannot be applied against a minor. It means he can be allowed to plea his minority in defence.	4. नाबालिग हमेशा अल्पायु का दावा कर सकता है: नाबालिग हमेशा अपनी अल्पायु (नाबालिग होने) का दावा कर सकता है और उसे ऐसा करने से रोका नहीं जा सकता, भले ही उसने स्वयं को बालिग बताकर कोई ऋण लिया हो या कोई अनुबंध किया हो। नाबालिग के विरुद्ध एस्टॉपल का नियम लागू नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ है कि उसे अपने बचाव में अपनी अल्पायु की दलील देने की अनुमति होती है।
Example 3: a minor has falsely induced himself as major and contracted with Mr. X for loan	उदाहरण 3: एक नाबालिग ने स्वयं को बालिग बताकर श्री X से ₹20,000 का ऋण लिया। जब श्री X

<p>of ₹ 20,000. When Mr. X asked for the repayment A denied to pay. He pleaded that he was a minor so cannot enter into any contract. Held, A cannot be held liable for repayment of amount. However, if he has not spent the same, he may be asked to repay it but the minor shall not be liable for any amount which he has already spent even though he received the same by fraud. Thus, a minor can always plead minority and is not estopped from doing so even where he had produced a loan or entered into some contract by falsely representing that he was of full age, when in reality he was a minor.</p>	<p>ने राशि की वापसी माँगी, तो A ने भुगतान करने से इंकार कर दिया। उसने यह दलील दी कि वह नाबालिग था, इसलिए वह कोई अनुबंध नहीं कर सकता। निर्णय हुआ कि A को राशि लौटाने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। हालांकि, यदि उसने वह राशि खर्च नहीं की है, तो उसे वापस करने के लिए कहा जा सकता है, लेकिन जिस राशि को वह पहले ही खर्च कर चुका है, उसके लिए नाबालिग उत्तरदायी नहीं होगा, भले ही उसने वह राशि धोखे से प्राप्त की हो। अतः, नाबालिग हमेशा अपनी अल्पायु (नाबालिग होने) की दलील दे सकता है और उसे ऐसा करने से रोका नहीं जा सकता, भले ही उसने स्वयं को बालिग बताकर ऋण प्राप्त किया हो या कोई अनुबंध किया हो, जबकि वास्तव में वह नाबालिग था।</p>
<p>5. Liability for necessities: The case of necessities supplied to a minor or to any other person whom such minor is legally bound to support is governed by section 68 of the Indian Contract Act. A claim for necessities supplied to a minor is enforceable by law.</p>	<p>5. आवश्यक वस्तुओं के लिए दायित्व: नाबालिग या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को, जिसका पालन-पोषण करना नाबालिग कानूनी रूप से बाध्य है, आवश्यक वस्तुएँ प्रदान किए जाने का मामला भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 68 द्वारा नियंत्रित होता है। नाबालिग को प्रदान की गई</p>

<p>But a minor is not liable for any price that he may promise and never for more than the value of the necessaries. There is no personal liability of the minor, but only his property is liable.</p>	<p>आवश्यक वस्तुओं के लिए दावा कानून द्वारा प्रवर्तनीय है। लेकिन नाबालिग उस मूल्य के लिए उत्तरदायी नहीं होता जो वह देने का वादा कर सकता है और कभी भी आवश्यक वस्तुओं के वास्तविक मूल्य से अधिक के लिए उत्तरदायी नहीं होता। नाबालिग की कोई व्यक्तिगत देयता नहीं होती, बल्कि केवल उसकी संपत्ति ही उत्तरदायी होती है।</p>
<p>To render minor's estate liable for necessaries two conditions must be satisfied:</p>	<p>नाबालिग की संपत्ति को आवश्यक वस्तुओं के लिए उत्तरदायी ठहराने हेतु दो शर्तों का पूरा होना आवश्यक है:</p>
<p>(i) The contract must be for the goods reasonably necessary for his support in the station in life.</p>	<p>(i) अनुबंध उन वस्तुओं के लिए होना चाहिए जो उसके जीवन स्तर के अनुसार उसके पालन-पोषण के लिए उचित रूप से आवश्यक हों।</p>
<p>(ii) The minor must not have already a sufficient supply of these necessaries.</p>	<p>(ii) अवयस्क के पास इन आवश्यक वस्तुओं की पहले से पर्याप्त आपूर्ति नहीं होनी चाहिए।</p>
<p>Necessaries mean those things that are essentially needed by a minor. They cannot include luxuries or costly or unnecessary articles. Necessaries extend to all such things as reasonably persons</p>	<p>आवश्यक वस्तुओं से आशय उन चीजों से है जो किसी नाबालिग के लिए अत्यंत आवश्यक हों। इनमें विलासिता की, महंगी या अनावश्यक वस्तुएँ शामिल नहीं होतीं। आवश्यक वस्तुओं में वे सभी चीजें आती हैं,</p>

<p>would supply to an infant in that class of society to which the infant belongs. Expenses on minor's education, on funeral ceremonies come within the scope of the word 'necessaries'.</p>	<p>जिन्हें सामान्य बुद्धि वाले व्यक्ति उस सामाजिक वर्ग के नाबालिग को उपलब्ध कराएँगे, जिससे वह संबंधित है। नाबालिग की शिक्षा पर होने वाला खर्च तथा अंतिम संस्कार संबंधी खर्च 'आवश्यक वस्तुओं' के अंतर्गत आते हैं।</p>
<p>The whole question turns upon the minor's status in life. Utility rather than ornament is the criterion.</p>	<p>पूरा प्रश्न नाबालिग की जीवन-स्थिति पर निर्भर करता है। उपयोगिता, न कि आभूषण, इसका मापदंड है।</p>
<p>Example 4: Shrich being a minor purchased a laptop for her online classes of ₹ 70,000 on credit from a shop. But her assets could pay only ₹ 20,000. The shop keeper could not hold Shrutu personally liable and could recover only amount recoverable through her assets i.e. upto ₹ 20,000.</p>	<p>उदाहरण 4: श्रिच नाबालिग होने के कारण अपनी ऑनलाइन कक्षाओं के लिए ₹70,000 का एक लैपटॉप उधार पर एक दुकान से खरीदती है। लेकिन उसकी संपत्ति से केवल ₹20,000 ही चुकाए जा सकते थे। दुकानदार श्रुति को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं ठहरा सकता था और केवल उसकी संपत्ति के माध्यम से वसूल की जा सकने वाली राशि अर्थात ₹20,000 तक ही वसूली कर सकता था।</p>
<p>6. Contract by guardian - how far enforceable: Though a minor's agreement is void, his guardian can, under certain circumstances enter into a valid</p>	<p>6. अभिभावक द्वारा किया गया अनुबंध – किस सीमा तक प्रवर्तनीय: यद्यपि अवयस्क का अनुबंध शून्य होता है, फिर भी उसका अभिभावक कुछ परिस्थितियों में अवयस्क की</p>

<p>contract on minor's behalf. Where the guardian makes a contract for the minor, which is within his competence and which is for the benefit of the minor, there will be valid contract which the minor can enforce.</p>	<p>ओर से एक वैध अनुबंध कर सकता है। जहाँ अभिभावक अवयस्क के लिए ऐसा अनुबंध करता है, जो उसकी अधिकार-सीमा के भीतर हो और अवयस्क के हित में हो, वहाँ वह एक वैध अनुबंध होगा, जिसे अवयस्क प्रवर्तित कर सकता है।</p>
<p>But all contracts made by guardian on behalf of a minor are not valid. For instance, the guardian of a minor has no power to bind the minor by a contract for the purchase of immovable Property. But a contract entered into by a certified guardian (appointed by the Court) of a minor, with the sanction of the court for the sale of the minor's property, may be enforced by either party to the contract.</p>	<p>लेकिन अभिभावक द्वारा नाबालिग की ओर से किए गए सभी अनुबंध वैध नहीं होते। उदाहरण के लिए, नाबालिग के अभिभावक को अचल संपत्ति की खरीद के लिए किए गए अनुबंध द्वारा नाबालिग को बाध्य करने का अधिकार नहीं होता। लेकिन न्यायालय द्वारा नियुक्त प्रमाणित अभिभावक द्वारा, न्यायालय की अनुमति से, नाबालिग की संपत्ति की बिक्री के लिए किया गया अनुबंध, अनुबंध के किसी भी पक्ष द्वारा लागू कराया जा सकता है।</p>
<p>7. No specific performance: A minor's agreement being absolutely void, there can be no question of the specific performance of such an agreement.</p>	<p>7. विशिष्ट पालन नहीं: नाबालिग का समझौता पूर्णतः शून्य होने के कारण, ऐसे समझौते के विशिष्ट पालन का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।</p>
<p>8. No insolvency: A minor</p>	<p>8. दिवालियापन नहीं: नाबालिग को</p>

<p>cannot be declared insolvent as he is incapable of contracting debts and dues are payable from the personal properties of minor and he shall never be held personally liable.</p>	<p>दिवालिया घोषित नहीं किया जा सकता क्योंकि वह ऋण और देनदारियों के लिए अनुबंध करने में अक्षम होता है तथा देय राशियाँ नाबालिग की व्यक्तिगत संपत्तियों से देय होती हैं और उसे कभी भी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा।</p>
<p>9. Partnership: A minor being incompetent to contract cannot be a partner in a partnership firm, but under Section 30 of the Indian Partnership Act, he can be admitted to the benefits of partnership.</p>	<p>9. साझेदारी: एक अवयस्क संविदा करने में अयोग्य होने के कारण साझेदारी फर्म में भागीदार नहीं बन सकता, लेकिन भारतीय साझेदारी अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत उसे साझेदारी के लाभों में सम्मिलित किया जा सकता है।</p>
<p>10. Minor can be an agent: A minor can act as an agent. But he will not be liable to his principal for his acts. A minor can draw, deliver and endorse negotiable instruments without himself being liable.</p>	<p>10. नाबालिग अभिकर्ता (एजेंट) हो सकता है: एक नाबालिग अभिकर्ता के रूप में कार्य कर सकता है। लेकिन वह अपने कार्यों के लिए अपने प्रधान (प्रिंसिपल) के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। एक नाबालिग स्वयं उत्तरदायी हुए बिना परक्राम्य लिखतों (Negotiable Instruments) को लिख सकता है, सौंप सकता है और समर्थन (एंडोर्स) कर सकता है।</p>
<p>Example 5: A minor can have an account in the bank. He can draw a cheque for his</p>	<p>उदाहरण 5: एक नाबालिग बैंक में खाता रख सकता है। वह अपनी</p>

<p>purchases. But he shall not be liable for cheque bounces nor can he be sued under court of law for any fraud done from his account.</p>	<p>खरीदारी के लिए चेक जारी कर सकता है। लेकिन चेक बाउंस होने पर वह उत्तरदायी नहीं होगा और न ही उसके खाते से किए गए किसी धोखाधड़ी के लिए उस पर न्यायालय में मुकदमा चलाया जा सकता है।</p>
<p>11. Minor cannot bind parent or guardian: In the absence of authority, express or implied, an infant is not capable of binding his parent or guardian, even for necessities. The parents will be held liable only when the child is acting as an agent for parents.</p>	<p>11. नाबालिग माता-पिता या अभिभावक को बाध्य नहीं कर सकता: स्पष्ट या निहित अधिकार के अभाव में, एक नाबालिग अपने माता-पिता या अभिभावक को, आवश्यक वस्तुओं के लिए भी, बाध्य करने में सक्षम नहीं होता। माता-पिता तभी उत्तरदायी होंगे जब बच्चा माता-पिता के एजेंट के रूप में कार्य कर रहा हो।</p>
<p>Example 6: Richa a minor entered into contract of buying a scooty from the dealer and mentioned that her parents will be liable for the payment of scooty. The dealer sent a letter to her parents for money. The parents will not be liable for such payment as the contract was entered by a minor in their absence and out of their knowledge.</p>	<p>उदाहरण 6: ऋचा, जो एक नाबालिग थी, ने डीलर से एक स्कूटी खरीदने का अनुबंध किया और बताया कि स्कूटी के भुगतान के लिए उसके माता-पिता उत्तरदायी होंगे। डीलर ने पैसे के लिए उसके माता-पिता को पत्र भेजा। माता-पिता ऐसे भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे क्योंकि अनुबंध एक नाबालिग द्वारा उनकी अनुपस्थिति में और उनकी जानकारी के बिना किया गया था।</p>

<p>12. Joint contract by minor and adult: In such a case, the adult will be liable on the contract and not the minor. In <i>Sain Das vs. Ram Chand</i>, where there was a joint purchase by two purchasers, one of them was a minor, it was held that the vendor could enforce the contract against the major purchaser and not the minor.</p>	<p>12. नाबालिग और वयस्क द्वारा संयुक्त अनुबंध: ऐसे मामले में अनुबंध के लिए वयस्क उत्तरदायी होगा, न कि नाबालिग। <i>Sain Das vs. Ram Chand</i> मामले में, जहाँ दो खरीदारों द्वारा संयुक्त खरीद की गई थी और उनमें से एक नाबालिग था, यह निर्णय दिया गया कि विक्रेता अनुबंध को केवल वयस्क खरीदार के विरुद्ध लागू कर सकता है, न कि नाबालिग के विरुद्ध।</p>
<p>13. Surety (Guarantor) for a minor: In a contract of guarantee when an adult stands surety for a minor then he (adult) is liable to third party as there is direct contract between the surety and the third party.</p>	<p>13. अवयस्क के लिए जमानतदार (गारंटर): गारंटी के अनुबंध में जब कोई वयस्क किसी अवयस्क के लिए जमानतदार बनता है, तब वह (वयस्क) तीसरे पक्ष के प्रति उत्तरदायी होता है क्योंकि जमानतदार और तीसरे पक्ष के बीच प्रत्यक्ष अनुबंध होता है।</p>
<p>Example 7: Mr. X guaranteed for the purchase of a mobile phone by Krish, a minor. In case of failure for payment by Krish, Mr. X will be liable to make the payment.</p>	<p>उदाहरण 7: श्री X ने एक नाबालिग कृष्ण द्वारा मोबाइल फोन की खरीद के लिए गारंटी दी। कृष्ण द्वारा भुगतान करने में विफल रहने की स्थिति में, श्री X भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे।</p>
<p>14. Minor as Shareholder: A minor, being incompetent to</p>	<p>14. नाबालिग के रूप में शेयरधारक: नाबालिग, संविदा करने में अक्षम होने</p>

<p>contract cannot be a shareholder of the company. If by mistake he becomes a member, the company can rescind the transaction and remove his name from register. But, a minor may, acting though his lawful guardian become a shareholder by transfer or transmission of fully paid shares to him.</p>	<p>के कारण कंपनी का शेयरधारक नहीं बन सकता। यदि गलती से वह सदस्य बन जाता है, तो कंपनी उस लेन-देन को रद्द कर सकती है और उसका नाम रजिस्टर से हटा सकती है। लेकिन, नाबालिग अपने वैध अभिभावक के माध्यम से उसके नाम पर पूर्ण रूप से चुकता शेयरों के हस्तांतरण या संक्रमण द्वारा शेयरधारक बन सकता है।</p>
<p>15. Liability for torts: A tort is a civil wrong. A minor is liable in tort unless the tort in reality is a breach of contract. Thus, where a minor borrowed a horse for riding only, he was held liable when he lent the horse to one of his friends who jumped and killed the horse. Similarly, a minor was held liable for his failure to return certain instruments which he had hired and then passed on to a friend.</p>	<p>15. अपकृत्य (टॉर्ट) के लिए दायित्व: टॉर्ट एक दीवानी गलत कार्य है। एक नाबालिग टॉर्ट के लिए उत्तरदायी होता है, जब तक कि वह टॉर्ट वास्तव में संविदा का उल्लंघन न हो। अतः, जहाँ एक नाबालिग ने केवल सवारी करने के लिए एक घोड़ा उधार लिया, वहाँ उसे उत्तरदायी ठहराया गया जब उसने वह घोड़ा अपने एक मित्र को दे दिया, जिसने घोड़े को दौड़ाकर मार डाला। इसी प्रकार, एक नाबालिग को उन कुछ उपकरणों को वापस न करने के लिए भी उत्तरदायी ठहराया गया, जिन्हें उसने किराये पर लिया था और बाद में अपने मित्र को दे दिया था।</p>
<p>(B) Person of sound mind:</p>	<p>(B) सुस्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति:</p>

<p>According to Section 12 of Indian Contract Act, “a person is said to be of sound mind for the purposes of making a contract if, at the time when he makes it is capable of understanding it and of forming a rational judgement as to its effect upon his interests.”</p>	<p>भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 12 के अनुसार, “किसी व्यक्ति को संविदा करने के उद्देश्य से सुस्वस्थ मस्तिष्क वाला कहा जाता है, यदि जिस समय वह संविदा करता है, उस समय वह उसे समझने तथा उसके अपने हितों पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में तर्कसंगत निर्णय करने में सक्षम हो।”</p>
<p>A person who is usually of unsound mind, but occasionally of sound mind, may make a contract when he is of sound mind.</p>	<p>जो व्यक्ति सामान्यतः विकृत मस्तिष्क का होता है, लेकिन कभी-कभी स्वस्थ मस्तिष्क का हो जाता है, वह स्वस्थ मस्तिष्क की अवस्था में अनुबंध कर सकता है।</p>
<p>A person who is usually of sound mind, but occasionally of unsound mind, may make a contract when he is of unsound mind.</p>	<p>जो व्यक्ति सामान्यतः स्वस्थ मस्तिष्क का होता है, लेकिन कभी-कभी विकृत मस्तिष्क का हो जाता है, वह विकृत मस्तिष्क की अवस्था में अनुबंध कर सकता है।</p>
<p>Example 8: A patient in a lunatic asylum, who is at intervals, of sound mind, may contract during those intervals.</p>	<p>उदाहरण 8: पागलखाने में रहने वाला एक रोगी, जो समय-समय पर स्वस्थ मस्तिष्क का हो जाता है, उन अंतरालों के दौरान अनुबंध कर सकता है।</p>
<p>Example 9: A sane man, who is delirious from fever, or who is so drunk that he cannot</p>	<p>उदाहरण 9: एक स्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति, जो बुखार के कारण प्रलाप की अवस्था में हो, या जो इतना</p>

<p>understand the terms of a contract, or form a rational judgement as to its effect on his interests, cannot contract whilst such delirium or drunkenness lasts.</p>	<p>नशे में हो कि वह अनुबंध की शर्तों को समझ न सके, अथवा अपने हितों पर उसके प्रभाव के संबंध में तर्कसंगत निर्णय न कर सके, वह ऐसी प्रलाप या नशे की अवस्था रहने तक अनुबंध नहीं कर सकता।</p>
<p>Position of unsound mind person making a contract: A contract by a person who is not of sound mind is void.</p>	<p>अस्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति द्वारा किया गया अनुबंध: जो व्यक्ति स्वस्थ मस्तिष्क का नहीं है, उसके द्वारा किया गया अनुबंध शून्य होता है।</p>
<p>(C) Contract by disqualified persons</p>	<p>(C) अयोग्य व्यक्तियों द्वारा अनुबंध:</p>
<p>Besides minors and persons of unsound mind, there are also other persons who are disqualified from contracting, partially or wholly, so that the contracts by such person are void. Incompetency to contract may arise from political status, corporate status, legal status, etc. The following persons fall in this category: Foreign Sovereigns and Ambassadors, Alien enemy, Corporations, Convicts, Insolvent etc.</p>	<p>अवयस्कों और विकृत मस्तिष्क वाले व्यक्तियों के अतिरिक्त कुछ अन्य व्यक्ति भी होते हैं जो पूर्णतः या आंशिक रूप से अनुबंध करने के लिए अयोग्य होते हैं, इसलिए ऐसे व्यक्तियों द्वारा किए गए अनुबंध शून्य होते हैं। अनुबंध करने की अयोग्यता राजनीतिक स्थिति, निगमित स्थिति, कानूनी स्थिति आदि के कारण उत्पन्न हो सकती है। निम्नलिखित व्यक्ति इस श्रेणी में आते हैं: विदेशी सम्राट और राजदूत, शत्रु विदेशी, निगम, दोषसिद्ध व्यक्ति, दिवालिया आदि।</p>
<p>Definition of Consent according to Section 13:</p>	<p>धारा 13 के अनुसार सहमति की परिभाषा:</p>

<p>“two or more persons are said to consent when they agree upon the same thing in the same sense.”</p>	<p>“दो या दो से अधिक व्यक्तियों को सहमति देने वाला कहा जाता है जब वे एक ही बात पर एक ही अर्थ में सहमत होते हैं।”</p>
<p>Parties are said to have consented when they not only agreed upon the same thing but also agreed upon that thing in the same sense. Same thing must be understood as the whole content of the agreement. Consequently, when parties to a contract make some fundamental error as to the nature of the transaction, or as to the person dealt with or as to the subject-matter of the agreement, it cannot be said that they have agreed upon the same thing in the same sense. And if they do not agree in the same sense, there cannot be consent. A contract cannot arise in the absence of consent.</p>	<p>पक्षकारों को सहमत कहा जाता है जब वे न केवल एक ही बात पर सहमत हों, बल्कि उस बात को एक ही अर्थ में भी स्वीकार करें। “एक ही बात” का अर्थ समझौते की संपूर्ण विषय-वस्तु से है। परिणामस्वरूप, जब किसी अनुबंध के पक्षकार लेन-देन की प्रकृति, संबंधित व्यक्ति या समझौते के विषय-वस्तु के संबंध में कोई मूलभूत त्रुटि कर बैठते हैं, तब यह नहीं कहा जा सकता कि वे एक ही बात पर एक ही अर्थ में सहमत हुए हैं। और यदि वे एक ही अर्थ में सहमत नहीं हैं, तो सहमति नहीं मानी जाएगी। सहमति के अभाव में कोई अनुबंध उत्पन्न नहीं हो सकता।</p>
<p>If two persons enter into an apparent contract concerning a particular person or ship, and it turns out that each of them, misled by similarity of name, had a different person or ship in</p>	<p>यदि दो व्यक्ति किसी विशेष व्यक्ति या जहाज के संबंध में एक प्रत्यक्ष अनुबंध करते हैं, और बाद में यह पता चलता है कि नाम की समानता के कारण भ्रमित होकर दोनों के मन</p>

<p>his mind, no contract would exist between them as they were not ad idem, i.e., of the same mind. Again, ambiguity in the terms of an agreement, or an error as to the nature of any transaction or as to the subject-matter of any agreement may prevent the formation of any contract on the ground of absence of consent. In the case of fundamental error, there is really no consent whereas, in the case of mistake, there is no real consent.</p>	<p>में अलग-अलग व्यक्ति या जहाज थे, तो उनके बीच कोई अनुबंध अस्तित्व में नहीं होगा क्योंकि वे अर्थात् एक ही विचार वाले नहीं थे। इसी प्रकार, किसी समझौते की शर्तों में अस्पष्टता, या किसी लेन-देन की प्रकृति अथवा किसी समझौते के विषय-वस्तु के संबंध में त्रुटि भी सहमति के अभाव के आधार पर किसी अनुबंध के निर्माण को रोक सकती है। मौलिक त्रुटि के मामले में वास्तव में कोई सहमति नहीं होती, जबकि भूल के मामले में वास्तविक सहमति नहीं होती।</p>
<p>As has been said already, one of the essential elements of a contract is consent and there cannot be a contract without consent. Consent may be free or not free. Only free consent is necessary for the validity of a contract.</p>	<p>जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, अनुबंध के आवश्यक तत्वों में से एक सहमति है और सहमति के बिना कोई अनुबंध नहीं हो सकता। सहमति स्वतंत्र हो सकती है या स्वतंत्र नहीं हो सकती। केवल स्वतंत्र सहमति ही अनुबंध की वैधता के लिए आवश्यक है।</p>
<p>Definition of ‘Free Consent’ (Section 14)</p>	<p>‘स्वतंत्र सहमति’ की परिभाषा (धारा 14)</p>
<p>Consent is said to be free when it is not caused by:</p>	<p>सहमति को स्वतंत्र कहा जाता है जब वह निम्नलिखित कारणों से उत्पन्न न हुई हो:</p>

1. Coercion, as defined in Section 15; or	1. धमकी, जैसा कि धारा 15 में परिभाषित है; या
2. Undue Influence, as defined in Section 16; or	2. अनुचित प्रभाव, जैसा कि धारा 16 में परिभाषित है; या
3. Fraud, as defined in Section 17; or	3. धोखा, जैसा कि धारा 17 में परिभाषित है; या
4. Misrepresentation, as defined in Section 18 or	4. मिथ्या प्रतिपादन, जैसा कि धारा 18 में परिभाषित है, या
5. Mistake, subject to the provisions of Sections 20, 21, and 22.	5. भूल, धारा 20, 21 और 22 के प्रावधानों के अधीन।
When consent to an agreement is caused by coercion, fraud, misrepresentation, or undue influence, the agreement is a contract voidable at the option of the party whose consent was so caused. When the consent is vitiated by mistake, the contract becomes void.	जब किसी समझौते के लिए सहमति बलपूर्वक दबाव, धोखाधड़ी, मिथ्या प्रतिपादन या अनुचित प्रभाव के कारण प्राप्त की जाती है, तो वह समझौता उस पक्ष के विकल्प पर शून्यकरणीय अनुबंध होता है जिसकी सहमति इस प्रकार प्राप्त की गई हो। जब सहमति त्रुटि से दूषित होती है, तो अनुबंध शून्य हो जाता है।
3.3 ELEMENTS VITIATING FREE CONSENT	3.3 स्वतंत्र सहमति को दोषपूर्ण बनाने वाले तत्व
We shall now explain these elements one by one.	अब हम इन तत्वों को एक-एक करके समझाएँगे।

1 Coercion (Section 15)	1 जबरदस्ती (धारा 15)
<p>‘Coercion’ is the committing, or threatening to commit, any act forbidden by the Indian Penal Code or the unlawful detaining, or threatening to detain any property, to the prejudice of any person whatever, with the intention of causing any person to enter into an agreement.”</p>	<p>“‘बलप्रयोग’ से अभिप्राय भारतीय दंड संहिता द्वारा निषिद्ध किसी कार्य को करना या करने की धमकी देना, अथवा किसी संपत्ति को अवैध रूप से रोकना या रोकने की धमकी देना है, जिससे किसी भी व्यक्ति को हानि पहुँचे, और ऐसा किसी व्यक्ति को किसी समझौते में प्रवेश कराने के उद्देश्य से किया जाए।”</p>
<p>It is to be noted that the section does not require that coercion must proceed from a party to the contract; nor is it necessary that subject of the coercion must be the other contracting party, it may be directed against any third person whatever.</p>	<p>यह ध्यान देने योग्य है कि धारा में यह आवश्यक नहीं है कि बलप्रयोग अनुबंध के किसी पक्षकार द्वारा ही किया जाए; न ही यह आवश्यक है कि बलप्रयोग का विषय दूसरा अनुबंध करने वाला पक्ष ही हो, यह किसी भी तीसरे व्यक्ति के विरुद्ध निर्देशित किया जा सकता है।</p>
<p>Effects of coercion under section 19 of Indian Contract Act, 1872</p>	<p>भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 19 के अंतर्गत दबाव के प्रभाव</p>
<p>(i) Contract induced by coercion is voidable at the option of the party whose consent was so obtained.</p>	<p>(i) बलपूर्वक दबाव द्वारा प्रेरित अनुबंध उस पक्ष के विकल्प पर शून्यकरणीय होता है, जिसकी सहमति इस प्रकार प्राप्त की गई हो।</p>
<p>(ii) A person to whom money</p>	<p>(ii) जिस व्यक्ति को दबाव के तहत</p>

<p>has been paid or anything delivered under coercion must repay or return it. (Section 72)</p>	<p>धन का भुगतान किया गया हो या कोई वस्तु दी गई हो, उसे वह धन वापस करना या वस्तु लौटाना अनिवार्य है। (धारा 72)</p>
<p>Threat to commit suicide – Whether is it coercion?</p>	<p>आत्महत्या करने की धमकी – क्या यह बलपूर्वकता है?</p>
<p>Suicide though forbidden by Indian Penal Code but is not punishable, as a dead man cannot be punished. But Section 15 declares that committing or threatening to commit any act forbidden by Indian Penal Code is coercion. Hence, a threat to commit suicide will be regarded as coercion.</p>	<p>आत्महत्या भारतीय दण्ड संहिता द्वारा निषिद्ध है, किन्तु यह दण्डनीय नहीं है, क्योंकि मृत व्यक्ति को दण्ड नहीं दिया जा सकता। लेकिन धारा 15 यह घोषित करती है कि भारतीय दण्ड संहिता द्वारा निषिद्ध किसी कार्य को करना या करने की धमकी देना दबाव है। अतः आत्महत्या करने की धमकी को दबाव माना जाएगा।</p>
<p>Example 10: Where husband obtained a release deed from his wife and son under a threat of committing suicide, the transaction was set aside on the ground of coercion, suicide being forbidden by the Indian Penal Code.</p>	<p>उदाहरण 10: जहाँ पति ने आत्महत्या करने की धमकी देकर अपनी पत्नी और पुत्र से विमोचन विलेख प्राप्त किया, वहाँ इस लेन-देन को दबाव के आधार पर निरस्त कर दिया गया, क्योंकि आत्महत्या भारतीय दंड संहिता द्वारा निषिद्ध है।</p>
<p>Example 11: An agent refused to give books of accounts to the principal unless his fees from all his liabilities. The principal</p>	<p>उदाहरण 11: एक अभिकर्ता (एजेंट) ने प्रधान (प्रिंसिपल) को लेखा-पुस्तकें देने से इंकार कर दिया जब तक कि</p>

<p>had to give the released deed. Held, the contract was under coercion by unlawful detaining of the principal's property.</p>	<p>उसकी सभी देनदारियों से संबंधित फीस का भुगतान न कर दिया जाए। प्रधान को मुक्तिपत्र (रिलीज़ डीड) देना पड़ा। निर्णय हुआ कि यह अनुबंध प्रधान की संपत्ति को अवैध रूप से रोककर किए गए दबाव के अधीन था।</p>
<p>II Undue influence (Section 16)</p>	<p>II अनुचित प्रभाव (धारा 16)</p>
<p>According to section 16 of the Indian Contract Act, 1872, "A contract is said to be induced by undue influence where the relations subsisting between the parties are such that one of the parties is in a position to dominate the will of the other and he uses that position to obtain an unfair advantage over the other".</p>	<p>भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 16 के अनुसार, "किसी अनुबंध को अनुचित प्रभाव द्वारा प्रेरित कहा जाता है, जब पक्षों के बीच विद्यमान संबंध ऐसे हों कि एक पक्ष दूसरे की इच्छा पर प्रभुत्व स्थापित करने की स्थिति में हो और वह उस स्थिति का उपयोग दूसरे पक्ष पर अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए करे।"</p>
<p>Example 12: A having advanced money to his son, B, during his minority, upon B's coming of age obtains, by misuse of parental influence, a bond from B for a greater amount than the sum due in respect of the advance. A employs undue influence.</p>	<p>उदाहरण 12: A ने अपने पुत्र B को उसकी अल्पायु अवस्था में धन उधार दिया था। B के वयस्क होने पर, A ने माता-पिता के प्रभाव का दुरुपयोग करके B से उधार राशि से अधिक धनराशि का बंधपत्र प्राप्त कर लिया। A ने अनुचित प्रभाव का प्रयोग किया।</p>

The essential ingredients under this provision are:	इस प्रावधान के अंतर्गत आवश्यक तत्व हैं:
(1) Relation between the parties: A person can be influenced by the other when a near relation between the two exists.	(1) पक्षों के बीच संबंध: जब दो व्यक्तियों के बीच निकट संबंध होता है, तब एक व्यक्ति दूसरे को प्रभावित कर सकता है।
(2) Position to dominate the will: Relation between the parties exist in such a manner that one of them is in a position to dominate the will of the other. A person is deemed to be in such position in the following circumstances:	(2) इच्छा पर प्रभुत्व स्थापित करने की स्थिति: पक्षकारों के बीच ऐसा संबंध होना चाहिए कि उनमें से एक दूसरे की इच्छा पर प्रभुत्व स्थापित करने की स्थिति में हो। किसी व्यक्ति को निम्नलिखित परिस्थितियों में ऐसी स्थिति में माना जाता है:
(a) Real and apparent authority: Where a person holds a real authority over the other as in the case of master and servant, doctor and patient and etc.	(क) वास्तविक और प्रत्यक्ष प्राधिकार: जहाँ एक व्यक्ति को दूसरे पर वास्तविक अधिकार प्राप्त होता है, जैसे मालिक और नौकर, डॉक्टर और मरीज आदि के मामले में।
Example 13: A father, by reason of his authority over the son can dominate the will of the son.	उदाहरण 13: एक पिता, पुत्र पर अपने अधिकार के कारण, पुत्र की इच्छा पर प्रभुत्व स्थापित कर सकता है।
(b) Fiduciary relationship: Where relation of trust and confidence exists between the	(ब) विश्वासजन्य संबंध: जहाँ अनुबंध के पक्षकारों के बीच विश्वास और भरोसे का संबंध होता है। इस प्रकार

<p>parties to a contract. Such type of relationship exists between father and son, solicitor and client, husband and wife, creditor and debtor, etc.</p>	<p>का संबंध पिता और पुत्र, वकील और मुवक्किल, पति और पत्नी, ऋणदाता और ऋणी आदि के बीच पाया जाता है।</p>
<p>Example 14: By reason of fiduciary relationship, a solicitor can dominate the will of his client and a trustee can dominate the will of the beneficiary.</p>	<p>उदाहरण 14: प्रत्ययी संबंध के कारण, एक सॉलिसिटर अपने ग्राहक की इच्छा पर प्रभुत्व स्थापित कर सकता है और एक ट्रस्टी लाभार्थी की इच्छा पर प्रभुत्व स्थापित कर सकता है।</p>
<p>Example 15: A spiritual guru induced his devotee to gift to him the whole of his property in return of a promise of salvation of the devotee. Held, the consent of the devotee was given under undue influence. Here, the relationship was fiduciary relationship between Guru and devotee and Guru was in a position to dominate the will of devotee.</p>	<p>उदाहरण 15: एक आध्यात्मिक गुरु ने अपने भक्त को मोक्ष दिलाने के वचन के बदले अपनी पूरी संपत्ति उसे उपहार में देने के लिए प्रेरित किया। निर्णय हुआ कि भक्त की सहमति अनुचित प्रभाव के अधीन दी गई थी। यहाँ गुरु और भक्त के बीच विश्वासजन्य संबंध था और गुरु भक्त की इच्छा पर प्रभुत्व स्थापित करने की स्थिति में था।</p>
<p>(c) Mental distress: An undue influence can be used against a person to get his consent on a contract where the mental capacity of the person is temporarily or permanently</p>	<p>(c) मानसिक कष्ट: अनुचित प्रभाव का उपयोग किसी व्यक्ति के विरुद्ध उसकी सहमति प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है, जब उसकी मानसिक क्षमता मानसिक या शारीरिक कष्ट, बीमारी या वृद्धावस्था</p>

<p>affected by the reason of mental or bodily distress, illness or of old age.</p>	<p>के कारण अस्थायी या स्थायी रूप से प्रभावित हो जाती है।</p>
<p>Example 16: A doctor is deemed to be in a position to dominate the will of his patient enfeebled by protracted illness.</p>	<p>उदाहरण 16: एक डॉक्टर को अपने लंबे समय से बीमारी से कमजोर हुए मरीज की इच्छा पर प्रभुत्व रखने की स्थिति में माना जाता है।</p>
<p>(d) Unconscionable bargains: Where one of the parties to a contract is in a position to dominate the will of the other and the contract is apparently unconscionable i.e., unfair, it is presumed by law that consent must have been obtained by undue influence. Unconscionable bargains are witnessed mostly in money-lending transactions and in family.</p>	<p>(d) अविवेकपूर्ण सौदे: जहाँ किसी अनुबंध के एक पक्ष की स्थिति दूसरे पक्ष की इच्छा पर प्रभुत्व स्थापित करने की हो और अनुबंध स्पष्ट रूप से अविवेकपूर्ण अर्थात् अनुचित हो, वहाँ कानून यह मान लेता है कि सहमति अनुचित प्रभाव द्वारा प्राप्त की गई है। अविवेकपूर्ण सौदे प्रायः धन उधार देने के लेन-देन तथा परिवार में देखे जाते हैं।</p>
<p>Example 17: A, being in debt to B, the money-lender of his village, contracts a fresh loan on terms which appear to be unconscionable. It lies on B to prove that contract was not induced by undue influence.</p>	<p>उदाहरण 17: A, जो अपने गाँव के साहूकार B का ऋणी है, ऐसी शर्तों पर नया ऋण लेने का अनुबंध करता है जो अनुचित प्रतीत होती हैं। यह सिद्ध करने का भार B पर होगा कि अनुबंध अनुचित प्रभाव से प्रेरित नहीं था।</p>
<p>Example 18: A applies to a</p>	<p>उदाहरण 18: A ने ऐसे समय में एक</p>

<p>banker for a loan at a time when there is astringency in money market. The banker declines to make the loan except at an unusually high rate of interest. A accepts the loan on these terms. This is a transaction in the ordinary course of business, and the contract is not induced by undue influence.</p>	<p>बैंकर से ऋण के लिए आवेदन किया जब मुद्रा बाजार में धन की कमी थी। बैंकर ने असामान्य रूप से उच्च ब्याज दर के अलावा ऋण देने से इंकार कर दिया। A ने इन शर्तों पर ऋण स्वीकार कर लिया। यह व्यापार के सामान्य क्रम में किया गया लेन-देन है, और यह अनुबंध अनुचित प्रभाव द्वारा प्रेरित नहीं है।</p>
<p>(3) The object must be to take undue advantage: Where the person is in a position to influence the will of the other in getting consent, must have the object to take advantage of the other.</p>	<p>(3) उद्देश्य अनुचित लाभ उठाने का होना चाहिए: जहाँ कोई व्यक्ति दूसरे की इच्छा को प्रभावित करके उसकी सहमति प्राप्त करने की स्थिति में हो, वहाँ उसका उद्देश्य दूसरे का अनुचित लाभ उठाना होना चाहिए।</p>
<p>Example 19: A teacher asks her daughter to get marry to one of his brilliant students. Both the girl and boy were smart, settled and intelligent. Here the teacher had a relation which can have influence on both of them. But as no undue advantage of such influence was taken such contract of marriage is said to be made by free consent.</p>	<p>उदाहरण 19: एक शिक्षिका अपनी बेटी से अपने एक प्रतिभाशाली छात्र से विवाह करने के लिए कहती है। लड़की और लड़का दोनों ही समझदार, स्थापित और बुद्धिमान थे। यहाँ शिक्षिका का दोनों पर ऐसा संबंध था जिससे वह प्रभाव डाल सकती थी। लेकिन उस प्रभाव का कोई अनुचित लाभ नहीं लिया गया, इसलिए ऐसा विवाह अनुबंध स्वतंत्र सहमति द्वारा किया गया माना जाता</p>

	है।
(4) Burden of proof: When a party to contract desires to avoid the contract on the ground of undue influence, he has to prove that-	(4) प्रमाण का भार: जब किसी अनुबंध का पक्षकार अनुचित प्रभाव के आधार पर अनुबंध से बचना चाहता है, तो उसे यह सिद्ध करना होता है कि-
(a) The other party is in position to dominate his will,	(a) दूसरा पक्ष उसकी इच्छा पर प्रभुत्व स्थापित करने की स्थिति में हो,
(b) the other party actually used his position to obtain his consent,	(b) दूसरे पक्ष ने वास्तव में अपनी स्थिति का उपयोग उसकी सहमति प्राप्त करने के लिए किया,
(c) transaction is unfair or unconscionable.	(c) लेन-देन अनुचित या अन्यायपूर्ण है।
Effect of undue influence- (Section 19A)	अनुचित प्रभाव का प्रभाव – (धारा 19A)
(i) When consent to an agreement is caused by undue influence, the agreement is a contract voidable at the option of the party whose consent was so caused.	(i) जब किसी समझौते के लिए सहमति अनुचित प्रभाव के कारण प्राप्त की जाती है, तो ऐसा समझौता उस पक्ष के विकल्प पर शून्यकरणीय अनुबंध होता है जिसकी सहमति इस प्रकार प्राप्त की गई हो।
(ii) Any such contract may be set aside either absolutely or, if the party who was entitled to avoid it has received any benefit thereunder, upon such	(ii) ऐसा कोई भी अनुबंध पूर्णतः निरस्त किया जा सकता है, अथवा यदि उसे निरस्त करने का अधिकार रखने वाले पक्ष ने उसके अंतर्गत कोई लाभ प्राप्त किया हो, तो न्यायालय को

<p>terms and conditions as to the Court may seem just.</p>	<p>जो शर्तें और परिस्थितियाँ न्यायसंगत प्रतीत हों, उनके अधीन उसे निरस्त किया जा सकता है।</p>
<p>Example 20: A, a money lender advances ₹ 1,00,000 to B, an agriculturist, and by undue influence induces B to execute a bond for ₹ 2,00,000 with interest at 6 percent per month. The court may set aside the bond, ordering B to repay ₹ 1,00,000 with such interest as may seem just.</p>	<p>उदाहरण 20: ए, जो एक साहूकार है, बी, जो एक कृषक है, को ₹1,00,000 उधार देता है और अनुचित प्रभाव द्वारा बी को ₹2,00,000 का बांड 6 प्रतिशत प्रतिमाह ब्याज सहित निष्पादित करने के लिए प्रेरित करता है। न्यायालय उस बांड को निरस्त कर सकता है और बी को ₹1,00,000 ऐसी ब्याज दर सहित वापस करने का आदेश दे सकता है, जो न्यायालय को उचित प्रतीत हो।</p>
<p>III Fraud (Section 17)</p>	<p>III कपट (धारा 17)</p>
<p>Definition of Fraud under Section 17: 'Fraud' means and includes any of the following acts committed by a party to a contract, or with his connivance, or by his agent, with an intent to deceive another party thereto or his agent, or to induce him to enter into the contract:</p>	<p>धारा 17 के अंतर्गत कपट (Fraud) की परिभाषा: 'कपट' से अभिप्राय है और इसमें निम्नलिखित में से कोई भी कार्य सम्मिलित है, जो किसी संविदा के एक पक्ष द्वारा, या उसकी मिलीभगत से, या उसके अभिकर्ता द्वारा, दूसरे पक्ष या उसके अभिकर्ता को धोखा देने के उद्देश्य से, अथवा उसे संविदा में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से किया गया हो:</p>
<p>(1) the suggestion, as a fact,</p>	<p>(1) उस बात को तथ्य के रूप में</p>

of that which is not true, by one who does not believe it to be true;	प्रस्तुत करना, जो सत्य नहीं है, ऐसे व्यक्ति द्वारा जो उसे सत्य नहीं मानता;
(2) the active concealment of a fact by one having knowledge or belief of the fact;	(2) किसी तथ्य का सक्रिय रूप से छिपाना, ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे उस तथ्य का ज्ञान या विश्वास हो;
(3) a promise made without any intention of performing it;	(3) बिना उसे पूरा करने के किसी भी इरादे के किया गया वचन;
(4) any other act fitted to deceive;	(4) कोई अन्य ऐसा कार्य जो धोखा देने के लिए उपयुक्त हो;
(5) any such act or omission as the law specially declares to be fraudulent.	(5) ऐसा कोई भी कार्य या चूक जिसे कानून विशेष रूप से कपटपूर्ण घोषित करता है।
The following are the essential elements of the fraud:	धोखाधड़ी के निम्नलिखित आवश्यक तत्व हैं:
(1) There must be a representation or assertion and it must be false. However, silence may amount to fraud or an active concealment may amount to fraud.	(1) कोई अभिकथन या कथन होना चाहिए और वह असत्य होना चाहिए। तथापि, मौन भी कपट के समान हो सकता है या सक्रिय रूप से छिपाना भी कपट माना जा सकता है।
Whether Silence is fraud or not?	"क्या मौन कपट है या नहीं?"
As per explanation of section 17, silence is fraud in following	धारा 17 की व्याख्या के अनुसार, निम्नलिखित परिस्थितियों में मौन

situations:	रहना छल (फ्रॉड) माना जाता है:
(a) There is duty to speak.	(a) बोलने का कर्तव्य है।
Example 21: A sell, by auction, to B, a horse which A knows to be unsound, A says nothing to B about the unsoundness of the horse. This is not fraud by A.	उदाहरण 21: A, नीलामी द्वारा B को एक घोड़ा बेचता है, जिसके बारे में A जानता है कि वह दोषपूर्ण है। A, घोड़े के दोष के बारे में B से कुछ नहीं कहता। यह A द्वारा कपट (फ्रॉड) नहीं है।
Example 22: In the above example, B is A's daughter. Here, the relation between the parties would make it A's duty to tell B if the horse is unsound.	उदाहरण 22: उपर्युक्त उदाहरण में, B, A की पुत्री है। यहाँ, पक्षकारों के बीच का संबंध A का यह कर्तव्य बना देगा कि यदि घोड़ा दोषपूर्ण है तो वह B को बताए।
(b) When silence is equal to speech.	"(b) जब मौन बोलने के समान हो।"
Example 23: B says to A - 'If you do not deny it, I shall assume that the horse is sound.' A says nothing. Here A's silence is equivalent to speech.	उदाहरण 23: B, A से कहता है — 'यदि तुम इसका खंडन नहीं करोगे, तो मैं मान लूँगा कि घोड़ा स्वस्थ है।' A कुछ नहीं कहता। यहाँ A की चुप्पी बोलने के समान है।
(2) The representation must be related to a fact.	(2) प्रतिनिधित्व किसी तथ्य से संबंधित होना चाहिए।
Example 24: A who is about to sell goods says that goods cost him Rs. 50,000. This is	उदाहरण 24: A जो माल बेचने वाला है, यह कहता है कि उस माल की लागत उसे 50,000 रुपये पड़ी है।

statement of fact. But if he says the goods are worth Rs. 50,000, it is a statement of opinion.	यह तथ्य का कथन है। लेकिन यदि वह कहता है कि उस माल का मूल्य 50,000 रुपये है, तो यह मत (राय) का कथन है।
(3) The representation should be made before the conclusion of the contract with the intention to induce the other party to act upon it.	(3) प्रतिनिधित्व अनुबंध के निष्कर्ष से पहले इस उद्देश्य से किया जाना चाहिए कि दूसरी पक्ष उस पर विश्वास करके कार्य करे।
(4) The representation or statement should be made with a knowledge of its falsity or without belief in its truth or recklessly not caring whether it is true or false.	(4) प्रतिनिधित्व या कथन उसकी असत्यता की जानकारी के साथ, या उसकी सत्यता में विश्वास किए बिना, अथवा लापरवाहीपूर्वक यह परवाह किए बिना किया जाना चाहिए कि वह सत्य है या असत्य।
(5) The other party must have been induced to act upon the representation or assertion.	(5) दूसरे पक्ष को उस कथन या प्रस्तुतीकरण के आधार पर कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया होना चाहिए।
Example 25: A bought shares in a company on the faith of a prospectus which contained an untrue statement that 'B' was a director of the company. 'A' had never heard of B and, therefore, the statement was immaterial from his point of view. A's claim for damages in	उदाहरण 25: A ने एक कंपनी के शेयर उस प्रॉस्पेक्टस पर विश्वास करके खरीदे, जिसमें यह असत्य कथन था कि 'B' कंपनी का निदेशक है। 'A' ने कभी B का नाम नहीं सुना था और इसलिए उसके दृष्टिकोण से यह कथन महत्वहीन था। इस मामले में A का हर्जाने का दावा खारिज कर

<p>this case was dismissed because the untrue statement had not induced 'A' to buy the shares.</p>	<p>दिया गया, क्योंकि उस असत्य कथन ने 'A' को शेयर खरीदने के लिए प्रेरित नहीं किया था।</p>
<p>(6) The other party must have relied upon the representation and must have been deceived.</p>	<p>(6) दूसरे पक्ष ने उस कथन पर विश्वास किया हो और वह धोखा खा गया हो।</p>
<p>(7) The other party acting on the representation must have consequently suffered a loss.</p>	<p>(7) दूसरे पक्ष ने उस अभिकथन पर विश्वास करके कार्य किया हो और परिणामस्वरूप उसे हानि हुई हो।</p>
<p>Effect of Fraud upon validity of a contract: When the consent to an agreement is caused by the fraud, the contract is voidable at option of the party defrauded and he has the following remedies:</p>	<p>अनुबंध की वैधता पर धोखाधड़ी का प्रभाव: जब किसी समझौते के लिए सहमति धोखाधड़ी के कारण प्राप्त की जाती है, तो अनुबंध धोखा खाए हुए पक्ष के विकल्प पर विलोपनीय होता है और उसके पास निम्नलिखित उपचार उपलब्ध होते हैं:</p>
<p>(1) He can rescind the contract within a reasonable time.</p>	<p>(1) वह उचित समय के भीतर अनुबंध को निरस्त कर सकता है।</p>
<p>(2) He can sue for damages.</p>	<p>(2) वह हर्जाने के लिए मुकदमा कर सकता है।</p>
<p>(3) He can insist on the performance of the contract on the condition that he shall be put in the position in which he would have been had the</p>	<p>(3) वह इस शर्त पर अनुबंध के पालन पर जोर दे सकता है कि उसे उस स्थिति में रखा जाए जिसमें वह होता यदि किया गया कथन सत्य</p>

representation made been true.	होता।
Exception: In the following cases, contract is not voidable:	अपवाद: निम्नलिखित मामलों में, अनुबंध शून्यकरणीय नहीं होता है:
(i) If the party whose consent was caused by silence which amounting to fraud, had the means of discovering the truth with ordinary diligence.	(i) यदि जिस पक्ष की सहमति मौन द्वारा प्राप्त की गई हो, जो कपट के समान हो, उसके पास साधारण सावधानी बरतकर सत्य का पता लगाने के साधन उपलब्ध थे।
(ii) A fraud which did not cause the consent of the party to agreement.	(ii) ऐसा कपट जिसने समझौते के पक्षकार की सहमति प्राप्त नहीं की।
IV Misrepresentation (Section 18)	IV कपटपूर्ण मिथ्या कथन (धारा 18)
According to Section 18, there is misrepresentation:	धारा 18 के अनुसार, मिथ्या प्रतिपादन है:
(1) Statement of fact, which of false, would constitute misrepresentation if the maker believes it to be true but which is not justified by the information he possesses;	(1) तथ्य का कथन, जो यदि असत्य हो तो मिथ्याप्रतिनिधित्व होगा, यदि कथन करने वाला उसे सत्य मानता हो, परंतु उसके पास उपलब्ध जानकारी उस विश्वास को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त न हो;
(2) When there is a breach of duty by a person without any intention to deceive which brings an advantage to him;	(2) जब किसी व्यक्ति द्वारा बिना किसी को धोखा देने की मंशा के कर्तव्य का उल्लंघन किया जाता है, जिससे उसे कोई लाभ प्राप्त होता है;
(3) When a party causes,	"(3) जब कोई पक्ष, भले ही

<p>even though done innocently, the other party to the agreement to make a mistake as to the subject matter.</p>	<p>निर्दोषतापूर्वक किया गया हो, समझौते के दूसरे पक्ष को विषय-वस्तु के संबंध में भूल करने के लिए प्रेरित करता है।”</p>
<p>Example 26: A makes a positive statement to B that C will be made the director of a company. A makes the statement on information derived, not directly from C but from M. B applies for shares on the faith of the statement which turns out to be false. The statement amounts to misrepresentation, because the information received second-hand did not warrant A to make the positive statement to B.</p>	<p>उदाहरण 26: A, B से यह सकारात्मक कथन करता है कि C को एक कंपनी का निदेशक बनाया जाएगा। A यह कथन ऐसी जानकारी के आधार पर करता है जो उसे सीधे C से नहीं, बल्कि M से प्राप्त हुई थी। B, उस कथन पर विश्वास करके शेयरों के लिए आवेदन करता है, जो बाद में असत्य सिद्ध होता है। यह कथन मिथ्या प्रतिपादन माना जाएगा, क्योंकि दूसरी ओर से प्राप्त जानकारी A को B के सामने ऐसा सकारात्मक कथन करने का अधिकार नहीं देती थी।</p>
<p>Example 27: ‘A’ believed the engine of his motor cycle to be in an excellent condition. ‘A’ without getting it checked in a workshop, told to ‘B’ that the motor cycle was in excellent condition. On his statement, ‘B’ bought the motor cycle, whose engine proved to be defective. Here, ‘A’s statement is misrepresentation as the</p>	<p>उदाहरण 27: ‘A’ को विश्वास था कि उसकी मोटर साइकिल का इंजन बहुत अच्छी स्थिति में है। ‘A’ ने बिना किसी कार्यशाला में जाँच कराए ‘B’ से कहा कि मोटर साइकिल बहुत अच्छी स्थिति में है। उसके इस कथन पर ‘B’ ने मोटर साइकिल खरीद ली, जिसका इंजन बाद में दोषपूर्ण निकला। यहाँ ‘A’ का कथन मिथ्या प्रतिपादन है, क्योंकि उसका कथन</p>

statement turns out to be false.	असत्य सिद्ध हुआ।
Example 28: A while selling his mare to B, tells him that the mare is thoroughly sound. A genuinely believes the mare to be sound although he has no sufficient ground for the belief. Later on, B finds the mare to be unsound. The representation made by A is a misrepresentation.	उदाहरण 28: ए ने अपनी घोड़ी को बी को बेचते समय उससे कहा कि घोड़ी पूरी तरह स्वस्थ है। ए वास्तव में यह विश्वास करता है कि घोड़ी स्वस्थ है, यद्यपि उसके पास इस विश्वास का पर्याप्त आधार नहीं है। बाद में, बी को पता चलता है कि घोड़ी अस्वस्थ है। ए द्वारा किया गया कथन मिथ्या प्रतिपादन (Misrepresentation) है।
Example 29: A buy an article thinking that it is worth ₹ 1000 when in fact it is worth only ₹ 500. There has been no misrepresentation on the part of the seller. The contract is valid.	उदाहरण 29: A एक वस्तु यह सोचकर खरीदता है कि उसकी कीमत ₹1000 है, जबकि वास्तव में उसकी कीमत केवल ₹500 है। विक्रेता की ओर से कोई मिथ्या प्रतिपादन नहीं किया गया है। अनुबंध वैध है।
Mistake: Mistake may be defined as innocent or erroneous belief which leads the party to misunderstand the others. Mistake may be either mistake of law or mistake of fact.	गलती: गलती को एक निर्दोष या गलत धारणा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो किसी पक्ष को दूसरे पक्ष को गलत समझने के लिए प्रेरित करती है। गलती या तो विधि की गलती हो सकती है या तथ्य की गलती।
Mistake of Law: Mistake of law is further classified as mistake of Indian law or	विधि की भूल: विधि की भूल को आगे भारतीय विधि की भूल तथा विदेशी विधि की भूल में वर्गीकृत किया जाता

mistake of foreign law.	है।
(i) Mistake of Indian law: A person cannot be allowed to get any relief on the ground that it had done a particular act in ignorance of law.	(i) भारतीय कानून की भूल: किसी व्यक्ति को इस आधार पर कोई राहत प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि उसने कानून की अज्ञानता में कोई विशेष कार्य किया था।
Example 30: A and B enter into a contract on the erroneous belief that a particular debt is barred by the Indian law of limitation. This contract is not voidable.	उदाहरण 30: A और B इस गलत विश्वास पर एक अनुबंध करते हैं कि एक विशेष ऋण भारतीय परिसीमा कानून द्वारा वर्जित है। यह अनुबंध विलोपनीय नहीं है।
(ii) Mistake of foreign law: Such a mistake is treated as mistake of fact and the agreement in such a case is void.	(ii) विदेशी कानून की भूल: ऐसी भूल को तथ्य की भूल माना जाता है और ऐसे मामले में समझौता शून्य होता है।
Mistake of fact: Mistake of fact are of two types – (i) Bilateral Mistake, (ii) Unilateral Mistake	तथ्य की भूल: तथ्य की भूल दो प्रकार की होती है – (i) द्विपक्षीय भूल, (ii) एकपक्षीय भूल।
(i) Bilateral mistake: Where both the parties to an agreement are under a mistake as to a matter of fact essential to the agreement, there is a bilateral mistake. In such a case, the agreement is void (Section 20).	(i) द्विपक्षीय भूल: जहाँ किसी समझौते के दोनों पक्ष समझौते से संबंधित किसी आवश्यक तथ्य के बारे में भूल में हों, वहाँ द्विपक्षीय भूल होती है। ऐसी स्थिति में समझौता शून्य होता है (धारा 20)।

Cases of Bilateral Mistakes	द्विपक्षीय भूल के मामले
(i) Mistake as to the quality of the subject-matter.	(i) विषय-वस्तु की गुणवत्ता के संबंध में भूल।
(ii) Mistake as to the existence of the subject-matter.	(ii) विषय-वस्तु के अस्तित्व के संबंध में भूल।
(iii) Mistake as to the identity of the subject-matter.	(iii) विषय-वस्तु की पहचान के संबंध में भूल।
(iv) Mistake as to the title of the subject-matter.	(iv) विषय-वस्तु के स्वामित्व संबंधी अधिकार के बारे में भूल।
(v) Mistake as to the price of the subject-matter.	
(vi) Mistake as to the quantity of the subject-matter.	(vi) विषय-वस्तु की मात्रा के संबंध में भूल।
(ii) Unilateral Mistake: According to Section 22, a contract is not voidable merely because it was caused by one of the parties to it being under a mistake as to matter of fact.	(ii) एकपक्षीय भूल: धारा 22 के अनुसार, कोई अनुबंध केवल इस कारण शून्यकरणीय नहीं होता कि उसके पक्षकारों में से कोई एक तथ्य संबंधी भूल के अधीन था।
3.4 LEGALITY OF OBJECT AND CONSIDERATION	3.4 वस्तु और प्रतिफल की वैधता
Which considerations and objects are lawful, and those which are not (Section 23):	कौन-कौन से प्रतिफल और उद्देश्य विधिसम्मत हैं, तथा कौन से नहीं हैं (धारा 23):

<p>Under Section 23 of the Indian Contract Act, in each of the following cases the consideration or object of an agreement is said to be unlawful:</p>	<p>भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत, निम्नलिखित प्रत्येक मामलों में किसी समझौते का प्रतिफल या उद्देश्य अवैध माना जाता है:</p>
<p>(i) When consideration or object is forbidden by law: Acts forbidden by law are those which are punishable under any statute as well as those prohibited by regulations or orders made in exercise of the authority conferred by the legislature.</p>	<p>(i) जब प्रतिफल या उद्देश्य विधि द्वारा निषिद्ध हो: वे कार्य जो विधि द्वारा निषिद्ध हैं, वे हैं जो किसी अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय हैं, साथ ही वे भी जो विधानमंडल द्वारा प्रदत्त अधिकार के प्रयोग में बनाए गए नियमों या आदेशों द्वारा प्रतिबंधित हैं।</p>
<p>Example 31: A father had arranged for marriage of his 17 years boy and took dowry from the girl's parents. Such marriage contract cannot take place as in India the minimum age for boy marriage is 21 years and dowry is not permissible in Indian law. Such is not a valid contract as the consideration and object both are forbidden by law.</p>	<p>उदाहरण 31: एक पिता ने अपने 17 वर्ष के लड़के के विवाह की व्यवस्था की और लड़की के माता-पिता से दहेज लिया। ऐसा विवाह अनुबंध नहीं हो सकता क्योंकि भारत में लड़के के विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है और भारतीय कानून में दहेज की अनुमति नहीं है। ऐसा अनुबंध वैध नहीं है क्योंकि उसका प्रतिफल और उद्देश्य दोनों ही कानून द्वारा निषिद्ध हैं।</p>
<p>(ii) When consideration or object are of such a nature that</p>	<p>(ii) जब प्रतिफल या उद्देश्य ऐसी प्रकृति के हों कि यदि उन्हें अनुमति</p>

if permitted it would defeats the provisions of law:	दी जाए, तो वे कानून के प्रावधानों को निष्फल कर दें।
If the consideration or the object of an agreement is of such a nature that not directly but indirectly, it would defeat the provisions of the law, the agreement is void.	यदि किसी समझौते का प्रतिफल या उद्देश्य ऐसा हो कि वह प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से कानून के प्रावधानों को विफल कर दे, तो वह समझौता शून्य होता है।
Example 32: A's estate is sold for arrears of revenue under the provisions of an Act of the Legislature, by which the defaulter is prohibited from purchasing the estate. B, upon an understanding with A, becomes the purchaser, and agrees to convey the estate to A upon receiving from him the price which B has paid. The agreement is void, as it renders the transaction, in effect, a purchase by the defaulter, and would so defeat the object of the law.	उदाहरण 32: किसी विधान अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत राजस्व की बकाया राशि के कारण A की संपत्ति बेच दी जाती है, जिसके अनुसार चूककर्ता को उस संपत्ति को खरीदने से निषिद्ध किया गया है। B, A के साथ एक समझौते के आधार पर, खरीदार बन जाता है और यह सहमति करता है कि B द्वारा चुकाई गई कीमत प्राप्त करने पर वह संपत्ति A को हस्तांतरित कर देगा। यह समझौता शून्य है, क्योंकि वास्तव में यह लेन-देन चूककर्ता द्वारा की गई खरीद के समान हो जाता है और इस प्रकार कानून के उद्देश्य को विफल कर देता है।
(iii) When it is fraudulent: Agreements which are entered into to promote fraud are void.	(iii) जब वह कपटपूर्ण हो: वे समझौते जो धोखाधड़ी को बढ़ावा देने के लिए किए जाते हैं, शून्य होते हैं।

<p>Example 33: A, B and C enter into an agreement for the division among them of gains acquired, or to be acquired, by them by fraud. The agreement is void, as its object viz., acquisition of gains by fraud is unlawful.</p>	<p>उदाहरण 33: A, B और C आपस में धोखे से प्राप्त किए गए या प्राप्त किए जाने वाले लाभों के बंटवारे के लिए एक समझौते में प्रवेश करते हैं। यह समझौता शून्य है, क्योंकि इसका उद्देश्य अर्थात् धोखे द्वारा लाभ प्राप्त करना अवैध है।</p>
<p>(iv) The general term “injury” means criminal or wrongful harm. In the following examples, the object or consideration is unlawful as it involves injury to the person or property of another.</p>	<p>(iv) सामान्य शब्द “क्षति” का अर्थ आपराधिक या अवैध हानि होता है। निम्नलिखित उदाहरणों में उद्देश्य या प्रतिफल अवैध है क्योंकि इसमें किसी अन्य व्यक्ति या उसकी संपत्ति को हानि पहुँचाना शामिल है।</p>
<p>Example 34: An agreement to print a book in violation of another’s copyright is void, as the object is to cause injury to the property of another. It is also void as the object of the agreement is forbidden by the law relating to copyright.</p>	<p>उदाहरण 34: किसी अन्य व्यक्ति के कॉपीराइट का उल्लंघन करके पुस्तक छापने का समझौता शून्य होता है, क्योंकि इसका उद्देश्य दूसरे की संपत्ति को क्षति पहुँचाना होता है। यह समझौता इस कारण भी शून्य है कि इसका उद्देश्य कॉपीराइट संबंधी कानून द्वारा निषिद्ध है।</p>
<p>Example 35: A promises to repay his debt by doing manual labour daily for a special period and agrees to pay interest at an exorbitant rate in case of default. Here A’s promise to</p>	<p>उदाहरण 35: A एक विशेष अवधि तक प्रतिदिन शारीरिक श्रम करके अपना ऋण चुकाने का वचन देता है और चूक होने की स्थिति में अत्यधिक दर से ब्याज देने के लिए सहमत</p>

<p>repay by manual labour is the consideration for the loan, and this consideration is illegal as it imposes what, in substance, amounts to slavery on the part of A. In other words, as the consideration involves injury to the person A, the consideration is illegal. Here, the object too is illegal, as it seeks to impose slavery which is opposed to public policy. Hence, the agreement is void.</p>	<p>होता है। यहाँ ऋण के बदले A द्वारा शारीरिक श्रम करके ऋण चुकाने का वचन प्रतिफल है, और यह प्रतिफल अवैध है क्योंकि यह वास्तविक रूप में A पर दासता थोपने के समान है। दूसरे शब्दों में, क्योंकि प्रतिफल में A के व्यक्ति को हानि पहुँचाना शामिल है, इसलिए यह प्रतिफल अवैध है। यहाँ उद्देश्य भी अवैध है, क्योंकि इसका उद्देश्य दासता थोपना है जो लोक नीति के विरुद्ध है। अतः यह समझौता शून्य है।</p>
<p>(v) When consideration is immoral: The following are the examples of agreements where the object or consideration is unlawful, being immoral.</p>	<p>"(v) जब प्रतिफल अनैतिक हो: निम्नलिखित ऐसे समझौतों के उदाहरण हैं जहाँ उद्देश्य या प्रतिफल अनैतिक होने के कारण अवैध है।"</p>
<p>Example 36: Where P had advanced money to D, a married woman to enable her to obtain a divorce from her husband and D had agreed to marry him as soon as she could obtain the divorce, it was held that P was not entitled to recover the amount, since the agreement had for its object the divorce of D from her husband</p>	<p>उदाहरण 36: जहाँ P ने D नामक एक विवाहित महिला को अपने पति से तलाक प्राप्त करने में सहायता देने के लिए धन अग्रिम दिया था और D ने यह सहमति दी थी कि जैसे ही वह तलाक प्राप्त कर लेगी, वह उससे विवाह कर लेगी, वहाँ यह निर्णय दिया गया कि P उस राशि की वसूली करने का अधिकारी नहीं था, क्योंकि उस समझौते का उद्देश्य D का अपने</p>

<p>and the promise of marriage given under these circumstances was against good morals.</p>	<p>पति से तलाक कराना था और इन परिस्थितियों में दिया गया विवाह का वचन सदाचार के विरुद्ध था।</p>
<p>Example 37: A asks B, “If you arrange a girl for marriage with me, I will give you ₹ 50,000.” Here contract is void as it is immoral.</p>	<p>उदाहरण 37: ए, बी से कहता है, “यदि तुम मेरे विवाह के लिए लड़की की व्यवस्था कर दोगे, तो मैं तुम्हें ₹ 50,000 दूँगा।” यहाँ अनुबंध शून्य है क्योंकि यह अनैतिक है।</p>
<p>(vi) When consideration is opposed to public policy: The expression ‘public policy’ can be interpreted either in a wide or a narrow sense. The freedom to contract may become illusory, unless the scope of ‘public policy’ is restricted. In the name of public policy, freedom of contract is restricted by law only for the good for the community.</p>	<p>(vi) जब प्रतिफल लोक नीति के विरुद्ध हो: ‘लोक नीति’ शब्द की व्याख्या व्यापक या संकीर्ण दोनों अर्थों में की जा सकती है। यदि ‘लोक नीति’ के क्षेत्र को सीमित न किया जाए, तो अनुबंध करने की स्वतंत्रता निरर्थक हो सकती है। लोक नीति के नाम पर, समुदाय के हित के लिए ही कानून द्वारा अनुबंध की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जाता है।</p>
<p>Some of the agreements which are held to be opposed to public policy</p>	<p>कुछ ऐसे समझौते जिन्हें लोक नीति के विरुद्ध माना जाता है</p>
<p>(1) Trading with enemy: Any trade with person owing allegiance to a Government at war with India without the licence of the Government of</p>	<p>(1) शत्रु के साथ व्यापार: भारत के साथ युद्धरत किसी सरकार के प्रति निष्ठा रखने वाले व्यक्ति के साथ भारत सरकार की अनुमति के बिना</p>

<p>India is void, as the object is opposed to public policy. Here, the agreement to trade offends against the public policy by tending to prejudice the interest of the State in times of war.</p>	<p>किया गया कोई भी व्यापार शून्य होता है, क्योंकि उसका उद्देश्य लोक नीति के विरुद्ध होता है। यहाँ व्यापार करने का समझौता युद्ध के समय राज्य के हितों को क्षति पहुँचाने की प्रवृत्ति के कारण लोक नीति के विरुद्ध माना जाता है।</p>
<p>Example 38: India entered in war like situation with China. Mr. A from India entered into contract with China for import of toys. Such contract is void as China is alien enemy of India. The contract if made before such war like situation may be suspended or dissolved. Like India felt apps like tik tok and PUBG will provide some internal information of the country, hence such apps were banned and any contract with them were dissolved.</p>	<p>उदाहरण 38: भारत चीन के साथ युद्ध जैसी स्थिति में प्रवेश कर गया। भारत के श्री A ने चीन के साथ खिलौनों के आयात के लिए अनुबंध किया। ऐसा अनुबंध शून्य है क्योंकि चीन भारत का शत्रु विदेशी देश है। यदि ऐसा अनुबंध युद्ध जैसी स्थिति से पहले किया गया हो, तो वह स्थगित या समाप्त किया जा सकता है। जैसे भारत को लगा कि Tik Tok और PUBG जैसे ऐप देश की कुछ आंतरिक जानकारी प्रदान कर सकते हैं, इसलिए ऐसे ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया और उनके साथ किए गए सभी अनुबंध समाप्त कर दिए गए।</p>
<p>(2) Stifling Prosecution: An agreement to stifle prosecution i.e. ‘an agreement to prevent proceedings already instituted from running their normal-course using force’ tends to be</p>	<p>(2) अभियोजन को दबाना: अभियोजन को दबाने का समझौता अर्थात् “ऐसा समझौता जिसमें बल प्रयोग करके पहले से आरम्भ की गई कार्यवाही को उसके सामान्य क्रम में चलने से रोका जाए”, न्याय का</p>

<p>a perversion or an abuse of justice; therefore, such an agreement is void. The principle is that one should not make a trade of felony. The compromise of a public offence is generally illegal.</p>	<p>विकृतिकरण या दुरुपयोग माना जाता है; इसलिए ऐसा समझौता शून्य होता है। सिद्धांत यह है कि किसी को भी अपराध का व्यापार नहीं करना चाहिए। सार्वजनिक अपराध का समझौता सामान्यतः अवैध होता है।</p>
<p>Under the Indian Criminal Procedure Code, there is, however, a statutory list of compoundable offences and an agreement to drop proceeding relating to such offences with or without the permission of the Court, as the case may be, in consideration the accused promising to do something for the complainant, is not opposed to public policy. Thus, where A agrees to sell certain land to B in consideration of B abstaining from taking criminal proceeding against A with respect to an offence which is compoundable, the agreement is not opposed to public policy. But, it is otherwise, if the offence is non-compoundable.</p>	<p>भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत, तथापि, समझौता योग्य अपराधों की एक वैधानिक सूची है और ऐसे अपराधों से संबंधित कार्यवाही को न्यायालय की अनुमति के साथ या बिना, जैसा भी मामला हो, इस प्रतिफल में समाप्त करने का समझौता कि अभियुक्त परिवादी के लिए कुछ करने का वचन देता है, लोक नीति के विरुद्ध नहीं माना जाता। अतः, जहाँ A, B के विरुद्ध किसी समझौता योग्य अपराध के संबंध में आपराधिक कार्यवाही न करने के बदले में B को कुछ भूमि बेचने के लिए सहमत होता है, वहाँ यह समझौता लोक नीति के विरुद्ध नहीं है। किन्तु, यदि अपराध असमझौतायोग्य हो, तो स्थिति भिन्न होगी।</p>
<p>(3) Maintenance and Champerty: Maintenance is an</p>	<p>(3) मेन्टेनेंस और चैम्पर्टी: मेन्टेनेंस वह समझौता है जिसमें कोई व्यक्ति</p>

<p>agreement in which a person promises to maintain suit in which he has no interest.</p>	<p>ऐसे मुकदमे को चलाने का वचन देता है जिसमें उसका कोई हित नहीं होता।</p>
<p>Example 39: A offer B ₹ 2000, if he sues C for a case which they could have settled mutually under provisions of law, just to annoy C. Such agreement is maintenance agreement.</p>	<p>उदाहरण 39: A, B को ₹ 2000 देने का प्रस्ताव करता है, यदि वह C के विरुद्ध ऐसे मामले में मुकदमा दायर करे, जिसे वे कानून के प्रावधानों के अंतर्गत आपसी समझौते से सुलझा सकते थे, केवल C को परेशान करने के उद्देश्य से। ऐसा समझौता मेंटेनेंस एग्रीमेंट कहलाता है।</p>
<p>Champerty is an agreement in which a person agrees to assist another in litigation in exchange of a promise to hand over a portion of the proceeds of the action.</p>	<p>चैम्पर्टी एक ऐसा समझौता है जिसमें एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को मुकदमेबाजी में सहायता करने के लिए इस शर्त पर सहमत होता है कि उसे मुकदमे से प्राप्त धनराशि का एक हिस्सा दिया जाएगा।</p>
<p>Example 40: A agrees to pay expenses to B if he sues C and B agrees to pay half of the amount received from result of such suit. This is an agreement of champerty. The agreement for supplying funds by way of Maintenance or Champerty is valid unless</p>	<p>उदाहरण 40: A, B को खर्च देने के लिए सहमत होता है यदि वह C पर मुकदमा करे और B उस मुकदमे के परिणामस्वरूप प्राप्त राशि का आधा भाग देने के लिए सहमत होता है। यह चैम्पर्टी का समझौता है। मेंटेनेंस या चैम्पर्टी के रूप में धन उपलब्ध कराने का समझौता तब तक वैध है जब तक...</p>
<p>(a) It is unreasonable so as to</p>	<p>"(a) यह अनुचित है जिससे दूसरी</p>

be unjust to other party or	पक्ष के प्रति अन्याय होता है।"
(b) It is made by a malicious motive like that of gambling in litigation or oppressing other party by encouraging unrighteous suits and not with the bonafide object of assisting a claim believed to be just.	(b) यह दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से किया गया हो, जैसे कि मुकदमेबाजी में जुआ खेलने या अनुचित मुकदमों को बढ़ावा देकर दूसरे पक्ष को परेशान करने के लिए, और यह किसी ऐसे दावे की सहायता करने के सद्भावनापूर्ण उद्देश्य से न किया गया हो जिसे न्यायसंगत माना जाता हो।
<p>4. Trafficking relating to Public Offices and titles: An agreement to trafficking in public office is opposed to public policy, as it interferes with the appointment of a person best qualified for the service of the public. Public policy requires that there should be no money consideration for the appointment to an office in which the public is interested. The following are the examples of agreements that are void; since they are tantamount to sale of public offices.</p>	<p>4. सार्वजनिक पदों और उपाधियों से संबंधित दलाली: सार्वजनिक पदों की दलाली से संबंधित समझौता लोक नीति के विरुद्ध होता है, क्योंकि यह जनता की सेवा के लिए सर्वोत्तम योग्य व्यक्ति की नियुक्ति में हस्तक्षेप करता है। लोक नीति की मांग है कि ऐसे पद की नियुक्ति के लिए, जिसमें जनता की रुचि हो, कोई धन संबंधी प्रतिफल न हो। निम्नलिखित ऐसे समझौतों के उदाहरण हैं जो शून्य हैं; क्योंकि वे सार्वजनिक पदों की बिक्री के समान हैं।</p>
(1) An agreement to pay money to a public servant in order to induce him to retire	(1) किसी लोक सेवक को उसके पद से सेवानिवृत्त होने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से धन देने का

<p>from his office so that another person may secure the appointment is void.</p>	<p>समझौता, ताकि कोई अन्य व्यक्ति उस पद पर नियुक्ति प्राप्त कर सके, शून्य है।</p>
<p>(2) An agreement to procure a public recognition like Padma Vibhushan for reward is void.</p>	<p>(2) पुरस्कार के बदले पद्म विभूषण जैसे सार्वजनिक सम्मान प्राप्त करने का समझौता शून्य होता है।</p>
<p>Example 41: Harish paid ₹ 15000 to the officer to give his son the job in the Forest department of India. On failure by officer he couldn't recover the amount as such contract amounts to trafficking in public office which is opposed to public policy.</p>	<p>उदाहरण 41: हरीश ने अपने पुत्र को भारत के वन विभाग में नौकरी दिलाने के लिए अधिकारी को ₹15000 दिए। अधिकारी द्वारा कार्य पूरा न करने पर वह राशि वापस प्राप्त नहीं कर सका, क्योंकि ऐसा अनुबंध लोक पदों की खरीद-फरोख्त के समान है, जो लोक नीति के विरुद्ध है।</p>
<p>(5) Agreements tending to create monopolies: Agreements having for their object the establishment of monopolies are opposed to public policy and therefore void.</p>	<p>(5) एकाधिकार स्थापित करने की प्रवृत्ति वाले समझौते: जिन समझौतों का उद्देश्य एकाधिकार स्थापित करना होता है, वे लोक नीति के विरुद्ध माने जाते हैं और इसलिए शून्य होते हैं।</p>
<p>Example 42: XYZ and ABC were only the manufactures of oxygen cylinders in West Bengal. They both entered into contract of supplying the same at very high rates and enjoy the</p>	<p>उदाहरण 42: XYZ और ABC पश्चिम बंगाल में ऑक्सीजन सिलेंडरों के केवल निर्माता थे। दोनों ने कोविड अवधि के दौरान देश में अत्यधिक ऊँची दरों पर उनकी आपूर्ति करने तथा एकाधिकार दरों का लाभ उठाने</p>

<p>monopoly rates during the covid period in the country. Such contract is opposed to public policy as they intended to create monopolies.</p>	<p>के लिए अनुबंध किया। ऐसा अनुबंध लोक नीति के विरुद्ध है क्योंकि उनका उद्देश्य एकाधिकार उत्पन्न करना था।</p>
<p>(6) Marriage brokerage agreements: An agreement to negotiate marriage for reward, which is known as a marriage brokerage contract, is void, as it is opposed to public policy. For instance, an agreement to pay money to a person hired to procure a wife is opposed to public policy and therefore void.</p>	<p>(6) विवाह दलाली संबंधी समझौते: विवाह कराने के बदले पुरस्कार प्राप्त करने हेतु किया गया समझौता, जिसे विवाह दलाली अनुबंध कहा जाता है, शून्य होता है, क्योंकि यह लोक नीति के विरुद्ध है। उदाहरण के लिए, पत्नी प्राप्त करने के लिए नियुक्त किसी व्यक्ति को धन देने का समझौता लोक नीति के विरुद्ध होता है और इसलिए शून्य है।</p>
<p>Note: Marriage bureau only provides information and doesn't negotiate marriage for reward, therefore, it is not covered under this point.</p>	<p>नोट: विवाह ब्यूरो केवल जानकारी प्रदान करता है और पारिश्रमिक के लिए विवाह की बातचीत नहीं कराता, इसलिए यह इस बिंदु के अंतर्गत शामिल नहीं है।</p>
<p>(7) Interference with the course of justice: An agreement whose object is to induce any judicial officer of the State to act partially or corruptly is void, as it is opposed to public policy; so also is an agreement by A to</p>	<p>(7) न्याय की प्रक्रिया में हस्तक्षेप: ऐसा समझौता जिसका उद्देश्य राज्य के किसी न्यायिक अधिकारी को पक्षपातपूर्ण या भ्रष्ट तरीके से कार्य करने के लिए प्रेरित करना हो, शून्य होता है, क्योंकि यह लोक नीति के विरुद्ध है; इसी प्रकार A द्वारा B को, जो A के विरुद्ध एक वाद में संभावित</p>

<p>reward B, who is an intended witness in a suit against A in consideration of B's abstaining himself from the trial. For the same reasons, an agreement which contemplates the use of under-hand means to influence legislation is void.</p>	<p>गवाह है, मुकदमे से स्वयं को दूर रखने के प्रतिफल में पुरस्कार देने का समझौता भी शून्य होता है। इसी कारणों से ऐसा समझौता भी शून्य होता है, जिसमें विधान निर्माण को प्रभावित करने के लिए गुप्त या अनुचित साधनों के प्रयोग की कल्पना की गई हो।</p>
<p>(8) Interest against obligation: The following are examples of agreement that are void as they tend to create an interest against obligation. The object of such agreements is opposed to public policy.</p>	<p>“(8) कर्तव्य के विरुद्ध हित: निम्नलिखित ऐसे समझौतों के उदाहरण हैं जो शून्य होते हैं क्योंकि वे कर्तव्य के विरुद्ध हित उत्पन्न करने की प्रवृत्ति रखते हैं। ऐसे समझौतों का उद्देश्य लोक नीति के विरुद्ध होता है।”</p>
<p>(1) An agreement by an agent to receive without his principal's consent compensation from another for the performance of his agency is invalid.</p>	<p>(1) किसी अभिकर्ता द्वारा अपने प्रधान की सहमति के बिना अपनी अभिकर्ता-सेवा के निष्पादन के लिए किसी अन्य व्यक्ति से पारिश्रमिक प्राप्त करने का समझौता अवैध है।</p>
<p>(2) A, who is the manager of a firm, agrees to pass a contract to X if X pays to A ₹ 200,000 privately. The agreement is void.</p>	<p>(2) A, जो एक फर्म का प्रबंधक है, X को अनुबंध दिलाने के लिए सहमत होता है यदि X, A को निजी रूप से ₹ 2,00,000 दे। यह समझौता शून्य है।</p>
<p>(9) Consideration Unlawful in Part: By virtue of Section</p>	<p>“(9) आंशिक रूप से अवैध प्रतिफल: धारा 24 के अनुसार, यदि</p>

<p>24, if any part of a single consideration for one or more objects, or any one or any part of any one of several considerations for a single object, is unlawful, the agreement is void.’</p>	<p>एक या अधिक उद्देश्यों के लिए एकल प्रतिफल का कोई भाग, या एकल उद्देश्य के लिए अनेक प्रतिफलों में से किसी एक का पूरा या कोई भाग अवैध हो, तो वह समझौता शून्य होगा।”</p>
<p>This section is an obvious consequence of the general principle of Section 23. There is no promise for a lawful consideration if there is anything illegal in a consideration which must be taken as a whole. The general rule is that where the legal part of a contract can be severed from the illegal part, the bad part may be rejected and the good one can be retained. But where the illegal part cannot be severed, the contract is altogether void.</p>	<p>यह धारा Section 23 के सामान्य सिद्धांत का स्पष्ट परिणाम है। यदि प्रतिफल में कोई अवैध बात सम्मिलित हो, जिसे समग्र रूप में देखा जाना चाहिए, तो वह वैध प्रतिफल के लिए किया गया वचन नहीं माना जाएगा। सामान्य नियम यह है कि जहाँ किसी अनुबंध के वैध भाग को अवैध भाग से अलग किया जा सकता है, वहाँ अवैध भाग को अस्वीकार किया जा सकता है और वैध भाग को बनाए रखा जा सकता है। लेकिन जहाँ अवैध भाग को अलग नहीं किया जा सकता, वहाँ पूरा अनुबंध ही शून्य हो जाता है।</p>
<p>3.5 VOID AGREEMENTS</p>	<p>3.5 शून्य समझौते</p>
<p>Expressly declared Void Agreements</p>	<p>स्पष्ट रूप से घोषित शून्य समझौते</p>
<p>1. Made by incompetent parties (Section 11)</p>	<p>“1. अक्षम पक्षों द्वारा किया गया (धारा 11)”</p>

2. Agreements made under Bilateral mistake of fact (Section 20)	"2. तथ्य की द्विपक्षीय भूल के अधीन किए गए समझौते (धारा 20)"
3. Agreements the consideration or object of which is unlawful (Section 23)	"3. वे समझौते जिनका प्रतिफल या उद्देश्य अवैध है (धारा 23)"
4. Agreement the consideration or object of which is unlawful in parts (Section 24)	"4. वह समझौता जिसकी प्रतिफल या उद्देश्य आंशिक रूप से अवैध हो (धारा 24)"
5. Agreements made without consideration (Section 25)	"प्रतिफल के बिना किए गए समझौते (धारा 25)"
6. Agreement in restraint of marriage (Section 26)	6. विवाह के प्रतिबंध में किया गया समझौता (धारा 26)
7. Agreement in restraint of trade (Section 27)	7. व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाला समझौता (धारा 27)
8. Agreements in restraint of legal action (Section 28)	8. वैधानिक कार्यवाही पर प्रतिबंध लगाने वाले समझौते (धारा 28)
9. Agreement the meaning of which is uncertain (Section 29)	"9. जिस समझौते का अर्थ अनिश्चित हो (धारा 29)"
10. Wagering Agreement (Section 30)	10. जुए से संबंधित समझौता (धारा 30)
11. Agreements to do impossible Acts (Section 56)	11. असंभव कार्य करने के लिए समझौते (धारा 56)
(1) Agreement in restraint	(1) विवाह के प्रतिबंध में समझौता

<p>of marriage (Section 26): Every agreement in restraint of marriage of any person other than a minor, is void. So, if a person, being a major, agrees for good consideration not to marry, the promise is not binding and considered as void agreement.</p>	<p>(धारा 26): किसी भी व्यक्ति (अवयस्क को छोड़कर) के विवाह पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रत्येक समझौता शून्य होता है। इसलिए, यदि कोई वयस्क व्यक्ति उचित प्रतिफल के बदले विवाह न करने के लिए सहमत होता है, तो ऐसा वचन बाध्यकारी नहीं होता और उसे शून्य समझौता माना जाता है।</p>
<p>(2) Agreement in restraint of trade (Section 27): An agreement by which any person is restrained from exercising a lawful profession, trade or business of any kind, is to that extent void. But this rule is subject to the following exceptions, namely, where a person sells the goodwill of a business and agrees with the buyer to refrain from carrying on a similar business, within specified local limits, so long as the buyer or his successor in interest carries on a like business therein, such an agreement is valid (goodwill is the advantage enjoyed by a business on account of public patronage and encouragement</p>	<p>(2) व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाले समझौते (धारा 27): ऐसा कोई भी समझौता जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को किसी वैध पेशे, व्यापार या व्यवसाय को करने से रोका जाता है, उस सीमा तक शून्य (void) होता है। लेकिन यह नियम निम्नलिखित अपवादों के अधीन है, अर्थात् जहाँ कोई व्यक्ति किसी व्यवसाय की गुडविल (goodwill) बेचता है और क्रेता के साथ इस बात पर सहमत होता है कि वह निर्दिष्ट स्थानीय सीमाओं के भीतर समान व्यवसाय नहीं करेगा, जब तक कि क्रेता या उसका उत्तराधिकारी वहाँ उसी प्रकार का व्यवसाय करता रहे, तो ऐसा समझौता वैध होता है। (गुडविल से अभिप्राय उस लाभ से है जो किसी व्यवसाय को जनता के संरक्षण और</p>

<p>from habitual customers). The local limits within which the seller of the goodwill agrees not to carry on similar business must be reasonable. Under Section 36 of the Indian Partnership Act, 1932 if an outgoing partner makes an agreement with the continuing partners that he will not carry on any business similar to that of the firm within a specified period or within specified local limits, such an agreement, thought in restraint of trade, will be valid, if the restrictions imposed are reasonable. Similarly, under Section 11 of that Act an agreement between partners not to carry on competing business during the continuance of partnership is valid.</p>	<p>नियमित ग्राहकों के प्रोत्साहन के कारण प्राप्त होता है।) वे स्थानीय सीमाएँ जिनके भीतर गुडविल बेचने वाला व्यक्ति समान व्यवसाय न करने के लिए सहमत होता है, उचित (reasonable) होनी चाहिए। भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 की धारा 36 के अंतर्गत, यदि कोई सेवानिवृत्त (outgoing) साझेदार शेष साझेदारों के साथ यह समझौता करता है कि वह एक निश्चित अवधि तक या निर्दिष्ट स्थानीय सीमाओं के भीतर फर्म के समान कोई व्यवसाय नहीं करेगा, तो ऐसा समझौता, यद्यपि व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाला है, फिर भी वैध होगा, यदि लगाए गए प्रतिबंध उचित हों। इसी प्रकार, उस अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत साझेदारों के बीच साझेदारी के जारी रहने के दौरान प्रतिस्पर्धी व्यवसाय न करने का समझौता भी वैध होता है।</p>
<p>But an agreement of service by which an employee binds himself, during the term of his agreement, not to compete with his employer is not in restraint of trade.</p>	<p>लेकिन सेवा संबंधी ऐसा समझौता, जिसमें कोई कर्मचारी अपने समझौते की अवधि के दौरान अपने नियोक्ता के साथ प्रतिस्पर्धा न करने के लिए स्वयं को बाध्य करता है, व्यापार पर प्रतिबंध नहीं माना जाता।</p>

<p>Example 43: B, a physician and surgeon, employs A as an assistant for a term of three years and A agrees not to practice as a surgeon and physician during these three years. The agreement is valid and A can be restrained by an injunction if he starts independent practice during this period.</p>	<p>उदाहरण 43: बी, जो एक चिकित्सक और शल्य चिकित्सक है, ए को तीन वर्षों की अवधि के लिए सहायक के रूप में नियुक्त करता है और ए इस बात के लिए सहमत होता है कि वह इन तीन वर्षों के दौरान शल्य चिकित्सक और चिकित्सक के रूप में अभ्यास नहीं करेगा। यह समझौता वैध है और यदि ए इस अवधि के दौरान स्वतंत्र रूप से अभ्यास शुरू करता है, तो उसे निषेधाज्ञा द्वारा रोका जा सकता है।</p>
<p>Example 44: An agreement by a manufacturer to sell during a certain period his entire production to a wholesale merchant is not in restraint of trade.</p>	<p>उदाहरण 44: किसी निर्माता द्वारा एक निश्चित अवधि के दौरान अपने सम्पूर्ण उत्पादन को एक थोक व्यापारी को बेचने का समझौता व्यापार पर प्रतिबंध नहीं माना जाता है।</p>
<p>Example 45: Agreement among the sellers of a particular commodity not to sell the commodity for less than a fixed price to maintain the quality of the product, is not an agreement in restraint of trade.</p>	<p>उदाहरण 45: किसी विशेष वस्तु के विक्रेताओं के बीच यह समझौता कि वे उत्पाद की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए उस वस्तु को एक निश्चित मूल्य से कम पर नहीं बेचेंगे, व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाला समझौता नहीं माना जाता है।</p>
<p>(3) Agreement in restraint of legal proceedings (Section 28): An agreement in restraint</p>	<p>“(3) विधिक कार्यवाहियों के अवरोध में समझौता (धारा 28):</p>

<p>of legal proceeding is the one by which any party thereto is restrained absolutely from enforcing his rights under a contract through a Court or which abridges the usual period for starting legal proceedings. A contract of this nature is void.</p>	<p>विधिक कार्यवाही के अवरोध में किया गया समझौता वह होता है जिसके द्वारा उसका कोई पक्षकार न्यायालय के माध्यम से अनुबंध के अंतर्गत अपने अधिकारों को पूर्णतः लागू कराने से रोका जाता है या विधिक कार्यवाही प्रारम्भ करने की सामान्य अवधि को कम कर दिया जाता है। इस प्रकार का अनुबंध शून्य होता है।”</p>
<p>However, there are certain exceptions to the above rule:</p>	<p>हालाँकि, उपर्युक्त नियम के कुछ अपवाद हैं:</p>
<p>(i) A contract by which the parties agree that any dispute between them in respect of any subject shall be referred to arbitration and that only the amount awarded in such arbitration shall be recoverable is a valid contract.</p>	<p>(i) एक अनुबंध जिसके द्वारा पक्षकार यह सहमत होते हैं कि उनके बीच किसी विषय के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद को मध्यस्थता (आर्बिट्रेशन) के लिए भेजा जाएगा और ऐसी मध्यस्थता में निर्धारित की गई केवल राशि ही वसूल की जा सकेगी, एक वैध अनुबंध है।</p>
<p>(ii) Similarly, a contract by which the parties agree to refer to arbitration any question between them which has already arisen or which may arise in future, is valid; but such a contract must be in</p>	<p>(ii) इसी प्रकार, ऐसा अनुबंध जिसके द्वारा पक्षकार उनके बीच पहले से उत्पन्न हो चुके या भविष्य में उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजने पर सहमत होते हैं, वैध होता है; परन्तु ऐसा</p>

writing.	अनुबंध लिखित रूप में होना चाहिए।
<p>(4) Agreement - the meaning of which is uncertain (Section 29): An agreement, the meaning of which is not certain, is void, but where the meaning thereof is capable of being made certain, the agreement is valid.</p>	<p>(4) अनिश्चित अर्थ वाला समझौता (धारा 29): ऐसा समझौता, जिसका अर्थ निश्चित नहीं है, शून्य होता है, परन्तु जहाँ उसका अर्थ निश्चित बनाया जा सकता है, वहाँ वह समझौता वैध होता है।</p>
<p>Example 46: A agrees to sell B “a hundred tons of oil”. There is nothing whatever to show what kind of oil was intended. The agreement is void for uncertainty. But the agreement would be valid if A was dealer only in coconut oil; because in such a case its meaning would be capable of being made certain.</p>	<p>उदाहरण 46: A, B को “एक सौ टन तेल” बेचने के लिए सहमत होता है। यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि किस प्रकार का तेल अभिप्रेत था। यह समझौता अनिश्चितता के कारण शून्य है। लेकिन यदि A केवल नारियल तेल का व्यापारी होता, तो यह समझौता वैध होता; क्योंकि ऐसी स्थिति में इसका अर्थ निश्चित किया जा सकता था।</p>
<p>(5) Wagering agreement (Section 30): An agreement by way of a wager is void. It is an agreement involving payment of a sum of money upon the determination of an uncertain event. The essence of a wager is that each side should stand to win or lose, depending on the</p>	<p>(5) जुए के समझौते (धारा 30): जुए के रूप में किया गया समझौता शून्य होता है। यह ऐसा समझौता है जिसमें किसी अनिश्चित घटना के निर्धारण पर धनराशि के भुगतान का प्रावधान होता है। जुए का सार यह है कि प्रत्येक पक्ष को उस अनिश्चित घटना के घटित होने के तरीके पर, जिसके संबंध में दांव लगाया गया है, जीतने</p>

way an uncertain event takes place in reference to which the chance is taken and in the occurrence of which neither of the parties has legitimate interest.	या हारने की संभावना होनी चाहिए तथा उस घटना के घटित होने में किसी भी पक्ष का वैध हित नहीं होना चाहिए।
Example 47: A agrees to pay ₹ 50,000 to B if it rains, and B promises to pay A like amount to A if it does not rain, the agreement will be by way of wager. But if one of the parties has control over the event, agreement is not a wager.	उदाहरण 47: A, B को ₹ 50,000 देने के लिए सहमत होता है यदि वर्षा होती है, और B, A को उतनी ही राशि देने का वचन देता है यदि वर्षा नहीं होती है, तो यह समझौता जुए (वेजर) के रूप में माना जाएगा। लेकिन यदि पक्षकारों में से किसी एक का घटना पर नियंत्रण हो, तो वह समझौता जुआ नहीं माना जाएगा।
Essentials of a Wager	शर्त के आवश्यक तत्व
1. There must be a promise to pay money or money's worth.	1. धन या धन के मूल्य का भुगतान करने का वचन होना चाहिए।
2. Promise must be conditional on an event happening or not happening.	2. वचन किसी घटना के होने या न होने पर निर्भर होना चाहिए।
3. There must be uncertainty of event.	3. घटना के होने में अनिश्चितता होनी चाहिए।
4. There must be two parties, each party must stand to win or lose.	4. दो पक्ष होने चाहिए, और प्रत्येक पक्ष को लाभ या हानि होने की संभावना होनी चाहिए।

5. There must be common intention to bet at the timing of making such agreement.	5. ऐसा समझौता करते समय शर्त लगाने की सामान्य मंशा होना आवश्यक है।
6. Parties should have no interest in the event except for stake.	6. पक्षकारों का घटना में दांव (स्टेक) के अलावा कोई हित नहीं होना चाहिए।
Transactions similar to Wager (Gambling)	जुए (सट्टेबाज़ी) के समान लेन-देन
(i) Lottery transactions: A lottery is a game of chance and not of skill or knowledge. Where the prize motive of participant is gambling, the transaction amounts to a wager. Even if the lottery is sanctioned by the Government of India it is a wagering transaction. The only effect of such sanction is that the person responsible for running the lottery will not be punished under the Indian Penal Code. Lotteries are illegal and even collateral transactions to it are tainted with illegality (Section 294A of Indian Penal Code).	(i) लॉटरी लेन-देन: लॉटरी संयोग का खेल है, न कि कौशल या ज्ञान का। जहाँ प्रतिभागी का पुरस्कार प्राप्त करने का उद्देश्य जुआ खेलना होता है, वहाँ यह लेन-देन बाजी माना जाता है। भले ही लॉटरी को भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्राप्त हो, फिर भी यह एक बाजी संबंधी लेन-देन ही होता है। ऐसी स्वीकृति का केवल इतना प्रभाव होता है कि लॉटरी चलाने वाला व्यक्ति भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडित नहीं किया जाएगा। लॉटरी अवैध है और उससे संबंधित सहायक (collateral) लेन-देन भी अवैधता से दूषित माने जाते हैं (भारतीय दंड संहिता की धारा 294A)।
(ii) Crossword Puzzles and Competitions: Crossword	(ii) क्रॉसवर्ड पहेलियाँ और प्रतियोगिताएँ: वे क्रॉसवर्ड पहेलियाँ

<p>puzzles in which prizes depend upon the correspondence of the competitor's solution with a previously prepared solution kept with the editor of a newspaper is a lottery and therefore, a wagering transaction.</p>	<p>जिनमें पुरस्कार प्रतियोगी के समाधान के उस समाधान से मेल खाने पर निर्भर करता है, जो किसी समाचार पत्र के संपादक के पास पहले से तैयार करके रखा गया हो, लॉटरी मानी जाती हैं और इसलिए, वे जुए के लेन-देन हैं।</p>
<p>Case Law: State of Bombay vs. R.M.D. Chamarbaugwala AIR (1957)</p>	<p>वाद: बॉम्बे राज्य बनाम आर. एम. डी. चमारबागवाला एआईआर (1957)</p>
<p>Facts: A crossword puzzle was given in magazine. Abovementioned clause was stated in the magazine. A solved his crossword puzzle and his solution corresponded with previously prepared solution kept with the editor. Held, this was a game of chance and therefore a lottery (wagering transaction).</p>	<p>तथ्य: एक पत्रिका में शब्द पहेली (क्रॉसवर्ड पज़ल) दी गई थी। उपर्युक्त शर्त पत्रिका में लिखी गई थी। A ने अपनी शब्द पहेली हल की और उसका समाधान संपादक के पास पहले से सुरक्षित रखे गए समाधान से मेल खा गया। निर्णय दिया गया कि यह संयोग का खेल था और इसलिए यह एक लॉटरी (जुए का लेन-देन) था।</p>
<p>Crossword puzzles, picture competitions and athletic competitions where prizes are awarded on the basis of skill and intelligence are the games of skill and hence such competitions are valid.</p>	<p>क्रॉसवर्ड पहेलियाँ, चित्र प्रतियोगिताएँ और एथलेटिक प्रतियोगिताएँ, जिनमें पुरस्कार कौशल और बुद्धिमत्ता के आधार पर दिए जाते हैं, कौशल के खेल हैं और इसलिए ऐसी प्रतियोगिताएँ वैध हैं। Prize Competition Act, 1955 के</p>

<p>According to the Prize Competition Act, 1955 prize competitions on games of skill are not wagers provided the prize money does not exceed ₹ 1,000.</p>	<p>अनुसार, कौशल के खेलों पर आधारित पुरस्कार प्रतियोगितियाँ बाजी (वेजर) नहीं मानी जातीं, बशर्ते कि पुरस्कार राशि ₹ 1,000 से अधिक न हो।</p>
<p>(iii) Speculative transactions: an agreement or a share market transaction where the parties intend to settle the difference between the contract price and the market price of certain goods or shares on a specified day, is a gambling and hence void.</p>	<p>(iii) सट्टात्मक लेन-देन: ऐसा समझौता या शेयर बाज़ार का लेन-देन, जिसमें पक्षकार किसी निश्चित दिन पर कुछ वस्तुओं या शेयरों के अनुबंध मूल्य और बाज़ार मूल्य के बीच के अंतर का निपटान करने का इरादा रखते हैं, जुआ माना जाता है और इसलिए शून्य होता है।</p>
<p>(iv) Horse Race Transactions: A horse race competition where prize payable to the bet winner is less than ₹ 500, is a wager.</p>	<p>(iv) घुड़दौड़ लेन-देन: ऐसी घुड़दौड़ प्रतियोगिता जिसमें शर्त जीतने वाले को देय पुरस्कार राशि ₹ 500 से कम हो, वह एक बाज़ी (वेजर) है।</p>
<p>Example 48: A and B enter into an agreement in which A promises to pay ₹ 2,00,000 provided Chetak wins the horse race competition. This is not a wagering transaction.</p>	<p>उदाहरण 48: A और B एक ऐसे समझौते में प्रवेश करते हैं जिसमें A, Chetak के घुड़दौड़ प्रतियोगिता जीतने की शर्त पर ₹ 2,00,000 देने का वादा करता है। यह एक बाजी संबंधी लेन-देन नहीं है।</p>
<p>However, Section 30 is not applicable in an agreement to</p>	<p>हालाँकि, घुड़दौड़ के विजेता को दिए जाने वाले प्लेट, पुरस्कार या ₹500 या</p>

<p>contribute toward plate, prize or sum of money of the value of ₹ 500 or above to be awarded to the winner of a horse race.</p>	<p>उससे अधिक मूल्य की धनराशि में योगदान करने के समझौते पर धारा 30 लागू नहीं होती है।</p>
<p>Transactions resembling with wagering transaction but are not void</p>	<p>सट्टेबाजी लेन-देन के समान दिखने वाले लेन-देन, लेकिन शून्य नहीं हैं।</p>
<p>(i) Chit fund: Chit fund does not come within the scope of wager (Section 30). In case of a chit fund, a certain number of persons decide to contribute a fixed sum for a specified period and at the end of a month, the amount so contributed is paid to the lucky winner of the lucky draw.</p>	<p>(i) चिट फंड: चिट फंड दांव (वेजर) के क्षेत्र में नहीं आता है (धारा 30)। चिट फंड के मामले में, कुछ व्यक्ति एक निश्चित अवधि तक एक निश्चित राशि योगदान करने का निर्णय लेते हैं और महीने के अंत में, इस प्रकार योगदान की गई राशि लकी ड्रॉ के भाग्यशाली विजेता को दे दी जाती है।</p>
<p>(ii) Commercial transactions or share market transactions: These transactions in which delivery of goods or shares are intended to be given or taken, do not amount to wagers.</p>	<p>(ii) वाणिज्यिक लेन-देन या शेयर बाज़ार के लेन-देन: वे लेन-देन जिनमें वस्तुओं या शेयरों की डिलीवरी देने या लेने का उद्देश्य होता है, बाज़ी (वेजर) नहीं माने जाते।</p>
<p>(iii) Games of skill and Athletic Competition: Crossword puzzles, picture competitions and athletic</p>	<p>(iii) कौशल के खेल और एथलेटिक प्रतियोगिताएँ: क्रॉसवर्ड पहेलियाँ, चित्र प्रतियोगिताएँ तथा एथलेटिक प्रतियोगिताएँ, जिनमें पुरस्कार कौशल</p>

<p>competitions where prizes are awarded on the basis of skill and intelligence are the games of skill and hence such competition are valid. According to the Prize Competition Act, 1955 prize competition in games of skill are not wagers provided the prize money does not exceed ₹ 1,000.</p>	<p>और बुद्धिमत्ता के आधार पर दिए जाते हैं, कौशल के खेल माने जाते हैं और इसलिए ऐसी प्रतियोगिताएँ वैध होती हैं। Prize Competition Act, 1955 के अनुसार, कौशल के खेलों में होने वाली पुरस्कार प्रतियोगितियाँ दाँव (wager) नहीं मानी जातीं, बशर्ते कि पुरस्कार राशि ₹ 1,000 से अधिक न हो।</p>
<p>(iv) A contract of insurance: A contract of insurance is a type of contingent contract and is valid under law and these contracts are different from wagering agreements.</p>	<p>(iv) बीमा का अनुबंध: बीमा का अनुबंध एक प्रकार का आकस्मिक अनुबंध है और यह कानून के अंतर्गत वैध होता है तथा ये अनुबंध बाजी संबंधी समझौतों से भिन्न होते हैं।</p>

Distinction between Contract of Insurance and Wagering Agreement		बीमा अनुबंध और जुआ समझौते के बीच अंतर
1. Meaning	It is a contract to indemnify the loss.	It is a promise to pay money on happening or non-happening of an uncertain event.
1. अर्थ	यह हानि की क्षतिपूर्ति करने का एक अनुबंध है।	यह किसी अनिश्चित घटना के होने या न होने पर धनराशि देने का वचन है।
2. Consideration	The crux of insurance contract is the mutual consideration (premium and compensation amount).	There is no consideration between the two parties. There is just gambling for money.
2. प्रतिफल	बीमा अनुबंध का मूल तत्व पारस्परिक प्रतिफल (प्रीमियम और क्षतिपूर्ति राशि) है।	दोनों पक्षों के बीच कोई प्रतिफल नहीं है। यह केवल पैसे के लिए जुआ खेलना है।
3. Insurable Interest	Insured party has	There is no property in

	insurable interest in the life or property sought to be insured.	case of wagering agreement. There is betting on other's life and properties.
3. बीमायोग्य हित	बीमित पक्ष का उस जीवन या संपत्ति में बीमायोग्य हित होता है जिसे बीमित कराया जाना है।	सट्टेबाजी समझौते में किसी संपत्ति का अधिकार नहीं होता है। इसमें दूसरों के जीवन और संपत्तियों पर दांव लगाया जाता है।
4. Contract of Indemnity	Except life insurance, the contract of insurance indemnifies the insured person against loss.	Loser has to pay the fixed amount on the happening of certain event.
4. क्षतिपूर्ति का अनुबंध	जीवन बीमा को छोड़कर, बीमा का अनुबंध बीमित व्यक्ति को हानि के विरुद्ध क्षतिपूर्ति प्रदान करता है।	हारने वाले को किसी निश्चित घटना के घटित होने पर निश्चित राशि का भुगतान करना होता है।
5. Enforceability	It is valid and enforceable	It is void and unenforceable agreement.
5. प्रवर्तनीयता	यह वैध और प्रवर्तनीय है।	यह शून्य एवं अप्रवर्तनीय समझौता है।
6. Premium	Calculation of premium is based on scientific and actuarial calculation of risks.	No such logical calculations are required in case of wagering agreement.
6. प्रीमियम	प्रीमियम की गणना जोखिमों की वैज्ञानिक एवं बीमांकिक गणना पर आधारित होती है।	सट्टा समझौते के मामले में ऐसी किसी तार्किक गणना की आवश्यकता नहीं होती है।
7. Public Welfare	They are beneficial to the society.	They have been regarded as against the public welfare.
7. लोक कल्याण	वे समाज के लिए लाभदायक हैं।	उन्हें लोककल्याण के विरुद्ध माना गया है।